रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 22 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 30, 1944 शक संवत्) [संख्या 43

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	853–871	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	877–888	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	499–513	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती

08 अगस्त, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-1076/11-2022-400टी(2)/2022—श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र, संयुक्त आयुक्त समबद्ध वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को संयुक्त आयुक्त (टैक्स आडिट) राज्य कर, प्रयागराज के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

25 अगस्त, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-1028/11-2022-400टी(2)/2022—श्री धर्मेन्द्र सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर सम्बद्ध, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) प्रथम, राज्य कर, गोरखपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर 1-1168/11-2022-400टी(2)/2022—श्री अरविन्द कुमार, अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर सम्बद्ध, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1168-1/11-2022-400टी(2)/2022—श्री दिनेश कुमार दुबे, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर सम्बद्ध, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, मिर्जापुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1168-2/11-2022-400टी(2)/2022—डा0 श्याम सुन्दर तिवारी, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर सम्बद्ध, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) सम्भाग-ए, राज्य कर, गोरखपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1168-4/11-2022-400टी(2)/2022—श्री अनिल कुमार राम त्रिपाठी, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर सम्बद्ध, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) सम्भाग-ए, राज्य कर प्रयागराज के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

21 जुलाई, 2022 ई0

सं0 364/एक-14/2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 के साथ पठित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन्1901) की धारा 48 के आधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करतीं हैं कि जिला सोनभद्र के पॉच ग्रामों, जो सरकारी अधिसूचना संख्या-681/एक-14-2011-33(153)/2011, दिनांक 20 सितम्बर, 2011 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के अधीन रखे गये थे, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से बन्द की जाती हैं—

अनुसूची

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	अधिसूचना संख्या-681/एक-14-2011-33(153)/2011, दिनांक 20 सितम्बर, 2011 की अनुसूची में क्रम संख्या	ग्राम
1	2	3	4	5	6
1	सोनभद्र	दुद्धी	दुद्धी	08	परासपानी
2	सोनभद्र	दुद्धी	दुद्धी	14	मझौली
3	सोनभद्र	घोरावल	बड़हर	42	मोहनी
4	सोनभद्र	घोरावल	बड़हर	43	करीं
5	सोनभद्र	घोरावल	बड़हर	55	मजुरही

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No.364/1-14/2022** dated July 21, 2022 :

NOTIFICATION

Lucknow, July 21, 2022

No. 364 /1-14/2022--In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act. 1901 (U.P. Act no. 3 of 1901) read with sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that Survey and Record operations in five Villages of District-Sonbhadra mentioned in the Schedule below, which were placed under the said operations *vide* Government Notification **No. 681/1-14-2011-33(153)/2011** dated September 20, 2011, are closed with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

Sl.No.	District	Tehsil	Pargana	S. No. in the Schedule of Notification no. 681/1-14-2011-33(153)/2011 dated September 20, 2011	Village
1	2	3	4	5	6
1	Sonbhadra	Duddhi	Duddhi	08	Paraspani
2	Sonbhadra	Duddhi	Duddhi	14	Majhouli

1	2	3	4	5	6
3	Sonbhadra	Ghorawal	Barhar	42	Mohani
4	Sonbhadra	Ghorawal	Barhar	43	Karri
5	Sonbhadra	Ghorawal	Barhar	55	Majurahi

By order,
SUDHIR GARG,
Principal Secretary.

21 जुलाई, 2022 ई0

सं0 365/एक-14/2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 के साथ पठित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन् 1901) की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि जिला सोनभद्र का ग्राम सोढ़ा, परगना विजयगढ़, तहसील राबर्ट्सगंज (जिसका विवरण नीचे अनुसूची में उल्लिखित है) जो सरकारी अधिसूचना संख्या-52(95)/91-183 दिनांक 11 जून, 1992 द्वारा सर्वेखण एवं अभिलेख संक्रिया के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से बन्द की जाती हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	अधिसूचना संख्या-52/(95)/91-188-91-रा0-14 दिनांक 11 जून, 1992 की अनुसूची में क्रम संख्या
1	2	3	4	5
सोनभद्र	राबर्ट्सगंज	विजयगढ़	सोढ़ा	61

आज्ञा से
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No.365/1-14/2022** dated July 21, 2022 :

NOTIFICATION

Lucknow, July 21, 2022

No. 365 /1-14/2022–In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act. 1901 (U.P. Act no. 3 of 1901) read with sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that Survey and Record operations in Villages-Sorha of District-Sonbhadra (details of which are mentioned in the Schedule below) which was placed under the said operations *vide* Government Notification **No. 52/(95)/91-188-91-Rev.-14** dated June 11, 1992, are closed with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	S. No. in the Schedule of Notification No. 52/(95)/91-188-91Rev.-14, dated June 11, 1992,
1	2	3	4	5	6
1.	Sonbhadra	Robertsganj	Vijaygarh	Sorha	61

By order,
SUDHIR GARG,
Principal Secretary.

अनुभाग–8

सेवानिवृत्ति

05 अगस्त, 2022 ई0

सं0 1525/एक-8-2022–चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 165/ई0-123/2018-19 (से0नि0) दिनांक 03 अगस्त, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उ0प्र0 चकबन्दी सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर तालिका के कॉलम-4 में उल्लिखित तिथि से सेवानिवृत्त होंगे–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
01	श्री अविन्द्र कुमार सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चन्दौली।	01-01-1963	31-12-2022
02	श्री शीतलेन्द्र सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर।	05-03-1963	31-03-2023
03	श्री संजय श्रीवास्तव, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हमीपुर।	07-05-1963	31-05-2023
04	श्री श्रीप्रकाश राय, उप संचालक चकबन्दी, सम्बद्ध मुख्यालय लखनऊ।	05-02-1963	28-02-1923

पदोन्नत/तैनाती

13 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 I/212609/एक-8-2022-रा0-8/1-8001(002)/1/2022–श्री तरूण कुमार मिश्र, संयुक्त संचालक चकबन्दी को तात्कालिक प्रभाव से अपर संचालक चकबन्दी (प्राविधिक) (वेतनमान रु0 1,18,500-2,14,100, पे मैट्रिक्स लेवल 13, ग्रेड पे रु0 8,700) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत करते हुए चकबन्दी निदेशालय, लखनऊ में तैनात किया जाता है।

2–श्री तरूण कुमार मिश्र को उक्त पद पर योगदान की तिथि से अनुमन्य वेतन/महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, विभाग

कार्यालय-ज्ञाप

11 अगस्त, 2022 ई0

सं0 4294/जी-अ-1/2022–निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद का प्रभार श्री अमृत त्रिपाठी(IAS), विशेष सिचव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2022 को ग्रहण कर लिया गया है। कृपया निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित अर्द्धशासकीय पत्रों को तद्नुसार सम्बोधित किया जाये।

दूरभाष नं0– 0522-2238969 (कार्यालय)
मोबाइल नं0–9415020305
फैक्स नं0– 0522-2238965 (कार्यालय)

मालोविका घोषाल
अपर निदेशक
कृते आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक।

मत्स्य उत्पादन विभाग

पदोन्नत/तैनाती

18 मई, 2022 ई0

सं0 17/2022/431/सत्रह-म-2022-6-9(205)/2013 टीसी–सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री विजय शंकर चौरसिया को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप निदेशक मत्स्य, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए उन्हें उप निदेशक मत्सय (नियोजन) मत्सय निदेशालय के रिक्त पद पर एतदद्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–उप निदेशक मत्स्य के पद पर उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या-22969/2016 अनिल कुमार गुप्ता व 02-अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 18/2022/430/सत्रह-म-2022-6-9(205)/2013 टीसी–सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री विजय पाल को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप निदेशक मत्स्य, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए उन्हें उप निदेशक मत्स्य, प्रयागराज के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–उप निदेशक मत्स्य के पद पर उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या 22969/2016 अनिल कुमार गुप्ता व 02 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव।

होमगार्डस विभाग

प्रोन्नति

30 जून, 2022 ई0

सं0 27/2022/1230/पन्चानबे-2022-210 होगा/10–उ0प्र0 होमगार्डस सेवा नियमावली, 1982 (समूह 'ख') के नियम-5 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथासंशोधित) के अधीन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति दिनांक 09 फरवरी, 2022 के आधार पर श्री राज्यपाल होमगार्ड्स संगठन के निरीक्षक संवर्ग के अधोअंकित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स सेवा समूह 'ख' श्रेणी के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन 56,100-1,77,500 (मैट्रिक्स का लेवल-10) में अस्थायी रूप से प्रोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष
1	2	3	4
01	58	राजेश कुमार सिंह	2021-2022

2–सम्बन्धित अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने तैनाती स्थान पर यथावत बने रहेंगे।

3–उक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किये जायेंगे और परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

4–उक्त पद के पदधारक को एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स संवर्ग के समकक्ष पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।

5–सम्बन्धित अधिकारी को वेतन एवं समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

07 जुलाई, 2022 ई0

सं0 597/18-1-22-25(83)/2017—उ0 प्र0 उद्योग सेवा श्रेणी-1 के उपायुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत निम्नतालिका में अंकित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त उद्योग, के अस्थायी पद पर वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600 से 39,100 ग्रेड वेतन रु0 7,600 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78800-2,09,200) में पदोन्नत करते हुए 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	उमेश चन्द्र	25
2	योगेश कुमार	26
3	अनुज कुमार	28

2—सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नवप्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर उसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायें। ये नवप्रोन्नत संयुक्त आयुक्त उद्योग अपने वर्तमान तैनाती स्थान से ही पद एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगें।

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

19 जलाई, 2022 ई0

सं0 1128/सत्ताईस-1-2022-38/12 टी0सी0—श्री लाल बहादुर सिंह, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को उनके कनिष्ठ श्री आलोक चतुर्वेदी की अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की तिथि 30 मई, 2012 से अधिशासी अभियन्ता (वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर एतद्द्वारा नोशनल प्रोन्नति पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री लाल बहादुर सिंह की नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के अनुसार वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किए जायेंगे।

3—उक्त आदेश विभिन्न मा0 नयायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 1129/सत्ताईस-1-2022-68/2019 टी0सी0—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री राज कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियनता (वेतन बैण्ड-3,

वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600) के पद पर एतद्द्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री राज कुमार सिंह की तैनाती/पदस्थापना सम्बन्धी आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

3—उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
अनीता वर्मा सिंह,
विशेष सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1
प्रोन्नति
02 अगस्त, 2022 ई0

सं0 1380/22-1-2022-197/99—कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में वेतन बैण्ड-2 रु0 9,300-34,800, ग्रेड वेतन रु0 4,200 (यथासंशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 रु0 35,400-1,12,400) में कार्यरत श्रीमती संध्या द्विवेदी, शोध सहायक को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शोध अधिकारी वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति प्रदान करने की राज्यपाल महोदया एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग—1
पदोन्नति
06 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 449/12-1-2022-110/2019—उ0प्र0 कृषि सेवा (समूह-क पद) के उप कृषि नदेशक स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को यचन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 15,600-39100, ग्रेड पे रु0 7,600 मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं:—

1 श्री वीरेन्द्र कुमार
2 डॉ अशोक तिवारी

2—उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-19564(एस0एस0)/2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका-संख्या 21053 (एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815 (एस0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

उपरोक्त अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग—1
पदोन्नति
01 जुलाई, 2022 ई0

सं0 R-140/38-1-2022-1 पदोन्नति/2021—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पें मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री नरेश बाबू सविता, उपायुक्त (स्वतः रोजगार), गोण्डा को कार्यभार ग्रहण करने

की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे। इसी बीच श्री नरेश बाबू सबिता अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

उद्यान विभाग

नियुक्ति/तैनाती

01 जुलाई, 2022 ई0

सं0 1572/58-2022-43/2022–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत वैज्ञानिक के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर माननीया राज्यपाल श्री सागर धामा पुत्र श्री सतेन्द्र पाल धामा, पता-1590, पट्टी मुण्डला, कुंआ वाली गली, पट्टी मुण्डला, बागपत, उत्तर प्रदेश पिन कोड-250101 (जन्म तिथि 27 अगस्त, 1998) को वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 5,400) (पे मैट्रिक्स लेवल-10) पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुए राजकीय उत्तक संवर्धन केन्द्र, अलीगंज लखनऊ में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करती हैं:–

1–श्री सागर धामा उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवा नियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

2–श्री सागर धामा को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो, देय होंगे।

3–उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी से (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4–सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2–सप्रू मार्ग, लखनऊ में योगदान अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

5–योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

6–श्री सागर धामा को योगदान करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रस्तुत करने होंगे:–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकरियों से, जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) ओथ ऑफ एलीजिन्यस का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(6) श्री सागर धामा की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(7) श्री सागर धामा अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन को भी उपलब्ध करायेंगें।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

पदोन्नति/तैनाती

02 मार्च, 2022 ई0

सं0 22/2022/371/23-03-2022-16ई0एस0/2021—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री रवीन्द्र वीर सिंह को कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900 (मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2—श्री रवीन्द्र वीर सिंह, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम अदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें।

3—श्री रवीन्द्र वीर सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 23/2022/377/23-03-2022-18 ई0एस0/2021—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधीशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री मिथिलेश कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2—श्री मिथिलेश कुमार, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम अदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें।

3—श्री मिथिलेश कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
गिरिजेश कुमार त्यागी
विशेष सचिव

20 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 28/2022/545/23-03-2022-47/ई0एस0/06-टी0सी0/11—तात्कालिक प्रभाव से श्री मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—श्री मनोज कुमार गुप्ता अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

24 जून, 2022 ई0

सं0 34/2022/1111/23-03-2022/10/(ई0एस0)/2021—तात्कालिक प्रभाव से श्री अजय कुमार गंगवार, मुख्य अभियंता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को स्थानान्तरित करते हुए मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र लोक निर्माण विभाग गोरखपुर के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—श्री अजय कुमार गंगवार अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सूचना प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे।

28 जून, 2022 ई0

सं0 35/2022/1210/23-03-2022, 18/ई0एस0/2021—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधीशासी अभियता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सजय कुमार श्रीवास्तव को उनके कनिष्ठ श्री सदन लाल गुप्ता की अधीक्षण अभियता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एव ग्रेड वेतन रु0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल-13) मे पदोन्नति कि तिथि 07 जनवरी, 2022 से नोशनल तथा कार्यभार ग्रहण करने कि तिथि से वास्तविक पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2—श्री सजय कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एव विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम अदेशो तक पूर्व मे आवटित कार्य करते रहेगें।

3—श्री सजय कुमार श्रीवास्तव की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगे।

सं0 36/2022/1211/23-03-2022-18 ई0एस0/2021—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधीशासी अभियता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सुग्रीव राम को उनके कनिष्ठ श्री अखिलेश कुमार दिवाकर की अधीक्षण अभियता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67000 एव ग्रेड वेतन रू0 8700 (मैट्रिक्स लेवल-13) मे पदोन्नति करने की तिथि 07 फरवरी, 2022 से नोशनल तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2—श्री सुग्रीव राम, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय मे योगदान आख्या प्रस्तुत करेगे तथा अग्रिम अदेशों तक पूर्व मे आवटित कार्य करते रहेंगें।

3—श्री सुग्रीव राम की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अनुभाग-8

नियुक्ति

09 मार्च, 2022 ई0

सं0 260/23-08-2022/52(पी0डब्ल्यू0)अधि0/2020 श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (सिविल) के विरुद्ध प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, फतेहगढ़ के कार्यकाल के दौरान प्रकाश मे आयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के लिये शासन के कार्यालय ज्ञाप स0—4244/23—13—10—21(1) ईएम/07, दिनाक 01 सितम्बर, 2010 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एव अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री राजेन्द्र कुमार के विरूद्ध लगाये गये कुल 03 आरोपो मे से आरोप सख्या 02 व 3 प्रमाणित पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0—785/23-13-14-21(1)ईएम/07, दिनाक 23 जून, 2014 द्वारा परिनिन्दित करते हुए 02 वार्षिक वेतनवृद्धियाँ 03 वर्षों के लिये अस्थायी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया गया।

2 चयन वर्ष 2017-18 में सहायक अभियन्ता (सिविल) से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर दिनाक 25 जून, 2018 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक मे उक्त दण्डादेश विद्यमान होने के कारण श्री राजेन्द्र कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक—2354) को "अनुपयुक्त" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

3 श्री राजेन्द्र कुमार के सबध में निर्गत उक्त दण्डादेश दिनाक 23 जून, 2014 के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 शासन के कार्यालय आदेश सं0-1615/23-13-18-21(1) ईएम/2007, दिनाक 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा निरस्त की गयी

4–शासन द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 23 जून, 2014 एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र निरस्तीकरण विषयक आदेश दिनाक 20 दिसम्बर, 2018 के विरूद्ध श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण मे निर्देश याचिका सख्या 144/2019 राजेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य योजित की गयी। उक्त निर्देश याचिका में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 12 जूलाई, 2019 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:–

"निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। दण्डादेश दिनांक 23 जून, 2014 एवं आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 अपास्त किये जाते हैं। यदि इन आदेशों के कारण याची का कोई सेवा सम्बन्धी लाभ रोका गया हो, तो वह उसे देय होगा। इस आदेश का अनुपालन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।

उभय पक्ष अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।"

5–निर्देश याचिका मे पारित आदेश दिनाक 12 जुलाई,2019 के समादर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–2587/23-13-19-4(सी0पी0)/2019, दिनाक 24 अक्टूबर, 2019 द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0–785/23-13-14-21(1)ईएम/2007, दिनाक 23 जून, 2014 एव कार्यालय ज्ञाप स0–1615/23-13-18-21(1) ईएम/2007, दिनाक 20 दिसम्बर, 2018 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त दण्डादेश के आधार पर रोके गये सेवा लाभ श्री राजेन्द्र कुमार को अनुमन्य करा दिये जायेगे।

6–लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति, तत्समय अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्तियों की गणना, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इजीनियरिंग सेवा नियमावली 2004 की वैद्यता, सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पूर्व पदोन्नत कतिपय सहायक अभियन्ताओ को अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची मे शामिल न करने आदि विषयों के सबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ मे योजित विभिन्न रिट याचिकाओं मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित आदेशो के विरूद्ध मा0 उच्चतम् न्यायालय मे योजित विभिन्न सिविल अपीलो एव एस0एल0पी0 को लीडिग सिविल अपील संख्या 3695/2007 अतिबल सिह व अन्य बनाम प्रमोद शकर उपाध्याय व अन्य को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाक 21 अगस्त, 2019 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय मे सुनवाई हेतु रिमिट कर दिया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाक 21 अगस्त, 2019 के अनुक्रम में रिमिट किये गये प्रकरणो हेतु मा0 मुख्य न्यायाधीश द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में सुनवाई हेतु अलग-अलग बेंच स्थापित की गयी है। वर्तमान में रिट याचिका सख्या-2750/2004 अजनी कुमार मिश्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उससे सम्बद्ध रिट याचिकाओं की सुनवाई मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में तथा रिट याचिका सख्या-3314(एस0एस0)/2009 डिप्लोमा इजीनियर्स सघ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उससे सम्बद्ध रिट याचिकाओं की सुनवाई मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में चल रही है।

7–उपरोक्त वर्णित स्थिति मे चयन वर्ष 2018-19 से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित चयन की कार्यवाही नहीं हो सकी है जिसके कारण श्री राजेन्द्र कुमार की पदोन्नति के संबध मे विचारण भी नहीं हो सका। अत: श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनाक 12 जुलाई, 2019 के अनुपालन हेतु मा0 अधिकरण के समक्ष अवमानना याचिका स0–170/2020 राजेन्द्र कुमार वर्मा बनाम श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग योजित की गयी। उक्त अवमानना याचिका मे मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनाक 12 मार्च, 2021 को पारित आदेश का सुसगत अश निम्नवत:–

"Inpursuance of the order passed by us. State Governmment has ordered to promote the petitioner notionally w.w.f. the date of junior's promotion. Petitoner's cse is identical, his seniority is not disputed in

any court and there is noting on record placed before us, to show that petitioner's promotion will be in violation of the order of Hon'ble High Court or Hon'ble Apex Court. Junior persons have been already promoted long back.Shri Harbans Singh junior to the petitioner was promoted on the post of Executive Engineer on 11-07-2019 but petitioner was denied promotion on the post of Executive Engineer, which is gross violation fo Article 16 of the constition of India. Since there is no legal impediment for promotion onthe post of Executive Engineer, we direct respondent No. 1 (Additionl Chief Secretay/Principal Secretary, P.W.D.) to carry out the order dated 12-07-2019 passed in claim petition N0. 144 of 2017 and to pass the order from the date of his junior, in accordance with law.

Compliance of this order be made within one months from today.

List on 20-04-2021

8–मा0 अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका संख्या–144/2019 राजेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अवमानना याचिका संख्या 170/2020 राजेन्द्र कुमार वर्मा बनाम श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या 287(1)ईएई/कोर्टकेस/2020 दिनाक 25 01 2022 में यह उल्लेख किया गया है कि श्री राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध निर्गत दण्डादेश दिनाक 23 06 2014 जिसके आधार पर उन्हे चयन वर्ष 2017-2018 में अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, निर्देश याचिका संख्या-144/2019 में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनाक 12 जूलाई, 2019 के अनुपालन मे समाप्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति मे श्री राजेन्द्र कुमार को उनके परिवर्तित सेवा अभिलेखों के आधार पर चयन वर्ष 2017-18 मे सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक मे की गयी सस्तुति के परिप्रेक्ष्य में ही उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाना अपेक्षित है। चूँकि उक्त चयन मे श्री राजेन्द्र कुमार से कनिष्ठ सहायक अभियन्ताओ, जो रिट याचिका सख्या-24634 (एस0बी0)/2016 मनोज कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य व रिट याचिका सख्या-29014 (एस0बी0)/2017 विजय कुमार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में प्रतिपक्षी नही थे, की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी है, अतः श्री राजेन्द्र कुमार की उनसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति पर विचार किया जाना नियमानुकूल है और उक्त परिप्रेक्ष्य मे इनकी ज्येष्ठता किसी न्यायालय या रिट मे विवादित नहीं है, श्री राजेन्द्र कुमार की पदोन्नति पर विचार करने का अनुरोध किया गया।

9 अतः निर्देश याचिका सख्या-144/2019 राजेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे पारित मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के आदेश दिनाक 12 जुलाई, 2019 तथा अवमानना याचिका सख्या 170/2020 राजेन्द्र कुमार वर्मा बनाम श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनाक 12 मार्च, 2021 के अनुपालन मे श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (सिविल) (ज्येष्ठता क्रमाक-2354) को, उनके परिवर्तित सेवा अभिलेखो पर सम्यक् विचारोपरान्त उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद (वेतन मैट्रिक्स लेबल-11, रू0 67,700-2,08,700) पर पदोन्नति प्रदान करने तथा उनसे कनिष्ठ श्री हरवश सिह, सहायक अभियनता (सिविल) (ज्येष्ठता क्रमाक-2356) की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 11 जुलाई, 2018 से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

10 श्री राजेन्द्र कुमार की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

गिरिजेश कुमार त्यागी,

विशेष सचिव।

अनुभाग-4

10 मार्च, 2022 ई0

सं0 271/23-4-22-98 जनरल/2021 सहायक अभियन्ता (विद्युत यान्त्रिक) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानो के अन्तर्गत लोक सेवा अयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या 825/02/पी/एस-6/2021-22, दिनाक 10 दिसम्बर, 21 में प्राप्त सस्तुतियो पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (विद्युत) एव अवर अभियन्ता (यान्त्रिक) को सहायक अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) के पद पर वेतन बैण्ड-2 रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे-5400 (पुनरीक्षित पे-बैन्ड-3 के लेवल-10) मे नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:

डिप्लोमाधारी अवर अभियंता (यांत्रिक) से सहायक अभियंता (वि0/यॉ0)

क्र0स0	ज्येष्ठता क्रमाक	नाम
		सर्वश्री–
		माह दिसम्बर, 2021
1	494	नीरज कुमार
		माह जनवरी, 2022
2	495	मनोज कुमार श्रीवास्तव

डिप्लोमाधारी दिव्यांग अवर अभियंता (विद्युत) से सहायक अभियंता (वि0/यॉ0)

क्र0स0	ज्येष्ठता क्रमाक	नाम
		सर्वश्री–
		माह जनवरी, 2022
1	448	नन्द लाल प्रसाद विश्वकर्मा

2–उक्त पदोन्नति आदेश रिट याचिका सख्या-25372 (एस/एस)/2021 आत्मरूप व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित होने वाले अतिम निर्णय के अधीन होगी। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से सबधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेगे।

आज्ञा से,
दुर्गा सिह,
अनु सचिव।

25 जून, 2022 ई0

सं0 956/23-4-2022-82 जनरल/2021 सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानो के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र सख्या 807/01/पी/एस-6/2021-22 दिनाक 02 नवम्बर, 2021 में प्राप्त सस्तुतियो पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सिविल) को वर्तमान तैनाती खण्ड में ही सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-2 रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 (पुनरीक्षित पे-बैन्ड-3 के लेवल-10) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभिन्ता (सिविल)

क्र0 स0	ज्येष्ठता क्रमाक	नाम
1	2	3
		सर्वश्री–
1	5061	कमला प्रसाद भारती
2	5062	राजीव गंगवार
3	5063	ताजवर हसन
4	5064	मुनेन्द्र प्रताप सिह यादव
5	5065	प्रदीप कुमार त्यागी
6	5066	विशाल सिह
7	5067	आशीष कुमार शुक्ला
8	5072	मुकुल नागपाल

2 उक्त पदोन्नति आदेश प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन/ विभागीय कार्यवाही मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–अवर अभियन्ता (सिविल) की सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति अभियंताओं द्वारा अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भॉति अपने कार्य/दायित्वों का निर्वहन याथवत किया जायेगा।

4– उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

23 जून, 2022 ई0

सं0-957/23-4-22-98 जनरल/2021 सहायक अभियन्ता (विद्युत/यात्रिक) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानो के अन्तर्गत लोक सेवा अयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र सख्या

825/02/पी/एस–6/2021-22, दिनांक 10 दिसम्बर, 21 में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (यान्त्रिक) को वर्तमान तैनाती खण्ड मे ही सहायक अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) के पद पर वेतन बैण्ड-2 रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे-5400 (पुनरीक्षित पे-बैन्ड-3 के लेवल-10) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः–

डिप्लोमाधारी अवर अभियंता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0)

क्र0स0	ज्येष्ठता क्रमाक	नाम
		माह अप्रैल, 2022
1	497	श्री नरेश कुमार
		माह जून, 2022
2	498	श्री पीर मुहम्मद खॉ

2–उक्त पदोन्नति आदेश रिट याचिका सख्या-25372 (एस/एस)/2021 आत्मरूप व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित होने वाले अतिम निर्णय के अधीन होगी। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से सबधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3 उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक् से जारी किये जायेगे।

अनुभाग-4

30 जून, 2022 ई0

सं0 1051/23-4-2022-82 जनरल/2021 सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानो के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र सख्या-807/01/पी/एस-6/2021-22 दिनाक 02 नवम्बर, 2021 मे प्राप्त संस्तुतियो पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सिविल) को वर्तमान तैनाती खण्ड में ही सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-2 रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 (पुनरीक्षित पे-बैन्ड-3 के लेवल-10) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

अवर अभियनता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल)

क्र0	ज्येष्ठता क्रमाक	नाम
1	2	3
		सर्वश्री
1	5073	सयम सक्सेना
2	5074	इकरार अहमद

1	2	3
		सर्वश्री–
3	5075	पकज कुमार श्रीवास्तव
4	5076	अविनेश कुमार सिन्हा
5	5077	राजवीर सिह
6	5080	दिलीप कुमार गुप्ता
7	5082	रमेश चन्द्र
8	5083	हृदय नारायण मिश्र

2–उक्त पदोन्नति आदेश प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन/ विभागीय कार्यवाही मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3 अवर अभियन्ता (सिविल) की सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति अभियताओ द्वारा अग्रिम आदेशो तक पूर्व की भॉति अपने कार्य/दायित्वो का निर्वहन याथवत किया जायेगा।

4 उक्त अभियतागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

30 जून, 2022 ई0

सं0 1052/23-4-22-98 जनरल/2021 सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा अयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र सख्या-825/02/पी/एस-6/2021-22, दिनाक 10 दिसम्बर, 21 में प्राप्त संस्तुतियो पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को वर्तमान तैनाती खण्ड में ही सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर वेतन बैण्ड-2 रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे-5400 (पुनरीक्षित पे-बैन्ड-3 के लेवल-10) मे नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:–

डिप्लोमाधारी अवर अभियंता (यांत्रिक) से सहायक अभियंता (वि0/यॉ0)

क्र0स0	ज्येष्ठता क्रमाक	नाम
1	2	3
		सर्वश्री–
1	499	रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव
2	500	जगदीश सिह
3	501	संजय कुमार तिवारी
4	504	शेष नाथ मौर्य

2–उक्त पदोन्नति आदेश रिट याचिका संख्या-25372 (एस/एस)/2021 आत्मरूप व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। अक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से संबधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–अवर अभियन्ता (यात्रिक) की सहायक अभियता (विद्युत/यात्रिक) के पद पर पदोन्नति अभियताओ द्वारा अग्रिम आदेशो तक पूर्व की भॉति अपने कार्य/दायित्वो का निर्वहन याथवत किया जायेगा।

4–उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेगे।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिह,
अनु सचिव।

अनुभाग-4

30 जून, 2022 ई0

सं0-1072/23-4-2022-82 जनरल/2021टीसी सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र सख्या-905/01/पी/एस-6/2021-22 दिनाक 12 मई, 2022 में प्राप्त सस्तुतियो पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सिविल) को उनसे कनिष्ठ अवर अभियन्ताओ के प्रोन्नत की तिथि से सहायक अभियन्ता(सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-2 रू0 15,600-39,100/-ग्रेड पे-5400/-(पुनरीक्षित पे-बैन्ड-3 के लेवल-10) में नियमित रूप से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

अवर अभियनता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल)

क्र0स0	ज्येष्ठता क्रमाक	नाम/पदनाम
1	2	3
		सर्वश्री–
1	4873	छोटे लाल सिंह
2	4877	दीपक कुमार केशरी
3	4966	गौरव श्रीवास्तव
4	5057	उदय शंकर पाण्डेय

2–उक्त पदोन्नति आदेश प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3 उक्त अभियतागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

अनुभाग-8

29 अप्रैल, 2022 ई0

सं0–04/2022/451/23-08-2022–तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 मे अंकित अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को जनहित में स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित स्थान/खण्ड में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है:-

क्र0	अधिशासी अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री केशव लाल	निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर	विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़
2	श्री अनिल कुमार	विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़	निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।

2–उक्त अधिशासी अभियन्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

24 मई, 2022 ई0

सं0 06/2022/435/23-08-2022–तात्कालिक प्रभाव से श्री मेघ प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बाराबकी को स्थानान्तरित करते हुए रा0मा0 सेतु परि0 खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में एतदद्वारा तैनात किया जाता है

2–श्री मेघ प्रकाश, अधिशसी अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन व प्रमुख अभियनता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जयेगा।

आज्ञा से,
अच्युतानन्द,
अनु सचिव।

अनुभाग-8

09 जून, 2022 ई0

सं0 07/2022/591/23-08-2022-34 (पी0डब्ल्यू0) अधि/18टीसी–तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार, नव प्रोन्नत अधिशासी अभियन्ता (वि0/या0), लोक निर्माण विभाग को स्टाफ आफिसर, 44वा वृत्त (वि0/या0), लोक निर्माण विभाग, वाराणसी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2 श्री अनिल कुमार, नव प्रोन्नत अधिशासी अभियनता (वि0/या0) द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,
ज्ञानेश्वर त्रिपाठी,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–30 हिन्दी गजट–भाग 1–2022 ई0
मुद्रक एव प्रकाशक निदेशक, मुद्रण एव लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं० ए०डी० 4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 30, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधिया, आज्ञाये, विज्ञप्तिया इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागो के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

AMENDMENT (Admin. 'G-I') SECTION

NOTIFICATION

Dated: *October* 18, 2022

No. 722/VIIIc, Allahabad, Correction Slip No. 271–In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in the Allahabad High Court Rules, 1952 Volume I, which shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

THE ALLAHABAD HIGH COURT (AMENDMENT) RULES, 2022

1. Short title and commencement. (1) These Rules may be called the Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2022.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Definition.–In these Rules, unless the context otherwise requires, "Rules" mean the Allahabad High Court Rules, 1952.

3. Amendment of Rule 2 of Chapter XXXVI.–Rule 2 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	*Amendment*
2. Payment of cash by tender. Payment of money into Court shall ordinarily be made in cash accompanied by a copy of the prescribed tender (Form No. 197) in triplicate duly filled in Hindi or English by the payer.	**2. Mode of deposit:** Payment of money into Court against all heads under Rule 1 of this Chapter, except head (1)(i) and (1)(iv) therein, shall be made through electronic mode cash accompanied by a copy of the prescribed tender (Form No. 197) in triplicate duly filled in Hindi or English by the payer.

4. Insertion of Rule 2-A in Chapter XXXVI.- Rule 2-A shall be inserted in Chapter XXXVI of the Rules as follows:

2-A. Payment of money by tender against head (1)(i) and (1)(iv) under Rule 1:- Payment of money into Court against head (1)(i) and (1)(iv) under Rule 1 of this Chapter shall be made through electronic mode or through demand draft/bankers' cheque against prescribed tender form (Form No. 197), duly filled in Hindi or English by the payer.

5. Amendment of Rule 3 of Chapter XXXVI.–Rule 3 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	*Amendment*
3. Presentation of tender.–The payer shall present the form to the Deputy Registrar ordinarily between the hours of 10 and 11 am. The Deputy Registrar shall call for a report from the official in charge of the record of the case as to the correctness of the amount, the nature of the payment tendered and the number of the case, if any, as entered in the form and whether the payment is due from the person on whose behalf it is tendered. After such corrections as may be found necessary have been made, the Deputy Registrar shall put his signature on the tender form as well as sign the order to the cashier to receive and credit the amount if tendered to him within three days. Thereafter, the tender form shall be returned to the payer for presentation and payment of the money to the cashier.	**3. Presentation of tender:**–The payer shall present the form to the Deputy Registrar ordinarily between the hours of 10 and 11 am. The Deputy Registrar shall call for a report from the official in charge of the record of the case as to the correctness of the amount, the nature of the payment to be tendered and the number of the case, if any, as entered in the form and whether the payment is due from the person on presenting the tender. After necessary corrections, if any, the Deputy Registrar shall put his signature on the tender form as well as sign the order to authorise receipt and/or credit of the amount to be made within next three days or time granted by the Court, whichever is earlier. Thereafter, the tender form shall be returned to the payer for presentation and payment/credit of the money.
The Deputy Registrar shall ensure that the tender form is ordinarily returned duly signed to the payer the same day by 12.30 p.m.	The Deputy Registrar shall ensure that the tender form is ordinarily returned duly signed to the payer the same day by 12.30 p.m.

6. Amendment of Rule 4 of Chapter XXXVI.–Rule 4 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	*Amendment*
4. Payment to cashier. On receiving the tender form and the money from the payer the cashier shall put his signature on the three portions of the form in acknowledgement of the payment and hand over the last portion of the form to the payer by way of receipt. The second portion of the form shall be retained by him and pasted in the file book. He shall put the serial number for the entry made by him in the day book on the first portion of the form and forward it to the [Section Officer, Accounts (A) Department], who shall send it without delay to the official concerned to be placed on record of the case.	**4. Payment:–**On receipt of tender form along with the money or confirmation from the approved bank, the cashier shall put his signature on the three portions of the form in acknowledgement of the payment and hand over the last portion of the form to the payer by way of receipt. The second portion of the form shall be retained by him and pasted in the file book. He shall put the serial number for the entry made by him in the day book on the first portion of the form and forward it to the Section Officer, Accounts (A) Department, who shall send it without delay to the official concerned to be placed on record of the case.

7. Amendment of Rule 5 of Chapter XXXVI.–Rule 5 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	*Amendment*
5. Time for payment.–The time for the payment of money through cash shall be from 10 a.m. to 2 p.m.	**5. Time for payment:** (i) The time for the payment of money through cash or Demand Draft or Bankers' Cheque shall be from 10 a.m. to 2 p.m. (ii) The time to make payment/deposit through electronic means shall be up to midnight of the last day for payment.

8. Amendment of Rule 7 of Chapter XXXVI.–Rule 7 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	*Amendment*
7. Deposit to be sent to State Bank of India.– Sums deposited under heads (1), (3) and (4) of Rule 1 shall be entered at once in their respective receipt registers and sent to the State Bank of India daily along with the pass book and a duplicate copy of the entries made therein. The copy shall after comparison with the pass book be retained by the Bank and forwarded to the Treasury in due course, the pass book being returned to the Court.	**7. Deposits to be sent to the Bank:–** Sums deposited under head (1) [except head (1)(i) and (1)(iv) thereof] and (3) of Rule 1 of this Chapter shall be entered at once in their respective receipt registers and sent to the Bank on the next working day and details forwarded to the Treasury periodically. All transactions made electronically shall be tallied before giving the credit thereof.

9. Insertion of Rule 7-A in Chapter XXXVI.- Rule 7-A shall be inserted in Chapter XXXVI of the Rules as follows:

7-A. Deposit to be sent to approved bank: Sums deposited under head (1)(i) and (1)(iv) of Rule 1 of this Chapter shall be entered at once in their respective receipt register immediately upon deposit made in a designated bank account with an approved bank and each deposit shall be retained in a case specific, interest bearing term deposit.

Explanation: In this Chapter, the words–

1. 'approved bank' mean a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, authorized to do business with the Government of India and/or the Government of Uttar Pradesh, approved by the Chief Justice from time to time.

2. 'designated bank account' mean the respective bank account at each 'approved bank' so designated by the Registrar General of the Court, from time to time, to receive deposits.

3. 'case specific interest-bearing term deposit' mean the term deposit prepared, bearing the details of the case in which the money may have been received in a designated bank account, to be renewed periodically subject to final order of the Court.

10. Amendment of Rule 9 of Chapter XXXVI.–Rule 9 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	*Amendment*
9. Disbursement of miscellaneous deposit. Sums deposited under head (2) of Rule 1 shall be entered at once in the register of miscellaneous deposits and repayments.	**9. Disbursement of miscellaneous deposit:** Sums deposited under head (2) of Rule 1 shall be entered at once in the register of miscellaneous deposits and repayments.
Sums deposited under sub-head (v) of head (2) of Rule 1 shall be sent to the Treasury as soon as possible and credited to the Central Government under the appropriate head.	Sums deposited under sub-head (v) of head (2) of Rule 1 shall be sent to the Treasury as soon as possible and credited to the Central Government under the appropriate head.
Sums deposited under other sub-heads shall be retained by the cashier if the money is expected to be disbursed soon; otherwise the money shall be credited to the personal ledger account maintained at the Treasury in the name of the Deputy Registrar and may be withdrawn as required by means of a cheque signed by the Deputy Registrar for the purpose of disbursement. In such a case before the money is actually disbursed it shall again be entered in the register to which such deposit relates.	Sums deposited under other sub-heads *(except head (1) (i) and (1) (iv) of Rule 1 of this Chapter)* shall be retained by the cashier if the money is expected to be disbursed soon; otherwise the money shall be credited to the personal ledger account maintained at the Treasury in the name of the Deputy Registrar and may be withdrawn as required by means of a cheque signed by the Deputy Registrar for the purpose of disbursement. In such a case before the money is actually disbursed it shall again be entered in the register to which such deposit relates.
Unexpended balances which remain undisbursed shall be deposited under head (ii) of Rule 1(1) under the orders of the Registrar.	Unexpended balances which remain undisbursed shall be deposited under sub-head (ii) of Rule 1(1) under the orders of the Registrar.

11. Amendment of Rule 11 of Chapter XXXVI.–Rule 11 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	*Amendment*
11. Repayment orders.–The repayment of sums entered under head (1) or (3) [or (4)] of Rule shall be made by means of repayment order upon application in the prescribed form under the orders of the Registrar or the Deputy Registrar.	**11. Payment/Repayment orders:**–The payment/ repayment of sums entered under head (1) or (3) of Rule shall be made by means of repayment order (upon application in the prescribed form), through electronic mode only or as directed by the Court, under the orders of the Registrar or the Deputy Registrar.

12. Insertion of Rule 11-A in Chapter XXXVI.–Rule 11-A shall be inserted in Chapter XXXVI of the Rules as follows:

11-A. All money lying in deposit under head (1)(i) and (1)(iv) of Rule 1 of this Chapter, from a date before the enforcement of The Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2022 (C.S. No. 271), shall be drawn from the Treasury and placed in 'case specific interest-bearing term deposit' with the 'approved bank'.

13. Amendment of Rule 16 of Chapter XXXVI.–Rule 16 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	*Amendment*
16. Order of payment:– If the application is found by the Deputy Registrar to be incorrect or defective he may get it corrected by the applicant. The Deputy Registrar shall thereafter satisfy himself after calling for an office report that the repayment is due. He shall also obtain a certificate from the [Section Officer, Accounts (A) Department] showing that there is no order of attachment or stop order in force affecting such money or any part thereof.	**16. Order of payment:–** If the application is found by the Deputy Registrar to be incorrect or defective he may get it corrected by the applicant. The Deputy Registrar shall thereafter satisfy himself after calling for an office report that the payment/ repayment is due. He shall also obtain a certificate from the Section Officer, Accounts (A) Department showing that there is no order of attachment or stop order in force affecting such money or any part thereof.
On being satisfied that any repayment is due to the applicant, he shall make an order of repayment and thereafter a repayment order shall be prepared in the proper form.	On being satisfied that any payment/repayment is due to the applicant, he shall make an order of payment/repayment and thereafter a repayment order shall be prepared in the proper form.
Where it is considered desirable that repayment should be made through a bank, the repayment order shall be sealed with the seal containing the words "Recoverable through a bank".	Where it is found that no money is payable to the applicant, the application shall be rejected and placed on the records of the case.
Where it is found that no money is payable to the applicant, the application shall be rejected and placed on the records of the case.	

AMENDMENT (Admin. 'G-II') SECTION

NOTIFICATION

Dated: *October* 20, 2022

No. 723/VIII(a)–The following draft rules further amend the General Rules (Civil), 1957, which the High Court proposes to make in exercise of powers conferred by Article 227 of Constitution of India and Section 122 of the Civil Procedure Code, 1908 and in supersession of all existing rules on the subject is hereby published as required by section 122 of the Code of Civil Procedure for information to all and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification is published in the Gazette of Uttar Pradesh, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad, Allahabad, E-mail: rg@allahabadhighcourt.in. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the High Court.

DRAFT RULES

THE GENERAL RULES (CIVIL) (AMENDMENT), 2022.

1. Short title and Commencement.–(1) These rules shall be called "The General Rules (Civil) (Amendment), 2022."

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions. The Rule means **'The General Rules (Civil), 1957'.**

3. Amendment in Rule 273 of Chapter XI– The existing rule 273 of chapter XI of the rules shall be substituted as follows:

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
273. Head of Account The following are the heads of account under which the money received and paid under this chapter is classified:	**273. Head of Account** The following are the heads of account under which the money received and paid under this chapter is classified:
(1) Civil Court Deposits and Repayments including-	(1) Civil Court Deposits and Repayments including-
(i) Sums paid under decrees and orders;	***(i) Sums paid under decrees orders and awards including interim awards;***
(ii) Sums deposited under Order XX, Rule 14, and Order XXIV Rule. 1 of the Code, and Section 83 of the T.P. Act (No. IV of 1882);	(ii) Sums deposited under Order XX, Rule 14, and Order XXIV Rule. 1 of the Code, and Section 83 of the T.P. Act (No. IV of 1882);
(iii) Sums deposited under Order XXI, Rule 34, or paid under Order XXI, Rule 85;	(iii) Sums deposited under Order XXI, Rule 34, or paid under Order XXI, Rule 85;
(iv) Sums deposited under Section 379 (1) of Act XXXIX of 1925;	(iv) Sums deposited under Section 379 (1) of Act XXXIX of 1925;
(v) Sums deposited in lieu of security, and	(v) Sums deposited in lieu of security, and
(vi) Sums deposited under the Land Acquisition Act (1 of 1894).	(vi) Sums deposited under the Land Acquisition Act (1 of 1894).
(vii) Sums deposited Under Section 30(1), 30(2) of Act No. XIII of 1972.	(vii) Sums deposited Under Section 30(1), 30(2) of Act No. XIII of 1972.
(viii) Sums deposited Under Order 15 Rule V of Civil Procedure Code.	(viii) Sums deposited Under Order 15 Rule V of Civil Procedure Code.
(ix) Deposition Fees	(ix) Deposition Fees
(2) Cash and proceeds of sale of Intestate Property and Repayments.	(2) Cash and proceeds of sale of Intestate Property and Repayments.
(3) Payments and refunds under-	(3) Payments and refunds under-
(i) Fines, Section 480 of Act V of 1898;	(i) Fines, Section 480 of Act V of 1898;
(ii) Stamp duties and penalties, section 35 of Act II of 1899;	(ii) Stamp duties and penalties, section 35 of Act II of 1899;
(4) Petty cash accounts, including-	(4) Petty cash accounts, including-
(i) Travelling and other expenses of witnesses,	(i) Travelling and other expenses of witnesses,
(ii) Subsistence money for judgment-debtors;	(ii) Subsistence money for judgment-debtors;
(iii) Sums paid under the rules framed by the State Government under Section 27 Act XVIII of 1876 and Order XXI, Rule 43;	(iii) Sums paid under the rules framed by the State Government under Section 27 Act XVIII of 1876 and Order XXI, Rule 43;
(iv) Incidental charges of Commissioners, Amins and Arbitrators, etc.;	(iv) Incidental charges of Commissioners, Amins and Arbitrators, etc.;
(v) Commission fees received from or for other Courts;	(v) Commission fees received from or for other Courts;
(vi) Postage and registration fees (other than fixed postal fees);	(vi) Postage and registration fees (other than fixed postal fees);
(vii) Costs of publication of proclamations and orders,	(vii) Costs of publication of proclamations and orders,

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
(viii) Carriage hire for the Bailiff, Small Cause Court, City Lucknow, for service of processes and execution of warrants of arrest;	(viii) Carriage hire for the Bailiff, Small Cause Court, City Lucknow, for service of processes and execution of warrants of arrest;
(ix) Copying charges received by money order under these rules; and	(ix) Copying charges received by money order under these rules; and
(x) Money deposited by a party or parties applying for local inspection by the Presiding Officer towards his travelling and other expenses.	(x) Money deposited by a party or parties applying for local inspection by the Presiding Officer towards his travelling and other expenses.

4. Amendment in Rule 275 of Chapter XI– The existing rule 275 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows:

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
275. Payments to or through a Court– Payments of money to, or through, a Civil Court shall be made in cash or by postal money-order or by cheques drawn on a recognized bank or by credit of some kind upon the treasury or payment through electronic mode. Currency notes of any circle in the Union of India shall be received in payment of Government dues, e.g., sums payable to the Government under decrees and order, sums deposited under section 379(1) of Act No. XXXIX of 1925 and duties and penalties paid under section 35 of Act No. II of 1899. It shall not be obligatory to receive a currency note of any circle if it is necessary to give change.	**275. Payments to or through a Court–** ***Payments of money to, or through, a Civil Court shall preferably be made through electronic mode/demand drafts/bankers cheques drawn on a recognized bank or by credit upon the treasury, in cash. Where specifically permitted such deposit may be made through postal order. Currency notes of any circle in the Union of India shall be received in payment of Government dues, e.g., sums payable to the Government under decrees and order, sums deposited under section 379(1) of Act No. XXXIX of 1925 and duties and penalties paid under section 35 of Act No. II of 1899. It shall not be obligatory to receive a currency note of any circle if it is necessary to give change.***
	Provided: No amount in excess of Rs. 500 may be deposited through Postal Orders.
Note 1 The directions contained in paragraphs 23, 24, 25 and 26 of the Financial Hand Book Volume V, Part I shall be strictly followed if deposit is accepted by cheques. Also see paragraphs 25A and 25B of the Financial Hand Book, Vol V, Part 1.- Ed.	***Note 1*** The directions contained in paragraphs 23, 24, 25 and 26 of the Financial Hand Book Volume V, Part I shall be strictly followed if deposit is accepted by cheques. Also see paragraphs 25A and 25B of the Financial Hand Book, Vol V, Part 1.- Ed.
Note 2–Postage stamps shall not be received.	***Note 2***–Postage stamps shall not be received.
Note 3–Money shall be deposited and reimbursed in full denominations of rupees and fractions of rupees shall be rounded off.	***Note 3***–Money shall be deposited and reimbursed in full denominations of rupees and fractions of rupees shall be rounded off.
	Note 4–Any amount deposited under clauses (i) to (viii) of sub-Rule 1 shall be received in a designated bank account with an approved bank and each deposit shall be retained in a case specific, interest-bearing term deposit.
	Explanation:
	In this Chapter, the words:–
	1. 'approved bank' mean a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, authorized to do business with the Government of India and/or the Government of

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
	Uttar Pradesh, approved by the Chief Justice from time to time.
	2. 'designated bank account' mean the respective bank account at each 'approved bank' so designated by the Registrar General of the High Court of Judicature at Allahabad, from time to time, to receive deposits.
	3. 'case specific interest-bearing term deposit' mean the term deposit prepared, bearing the details of the case in which the money may have been received in a designated bank account, to be renewed periodically subject to final order of the Court.

5. Amendment in Rule 276 of Chapter XI–The existing rule 276 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows:

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
276. Remittance by money order–In the case of remittance of money from one Court to another by postal money order, the title of the case and the nature of the remittance shall be entered in the coupon, all the requisite entries in the form of application for the money-order being prepared free of charge by the Receiving Officer. The money-order shall be addressed to the Munsarim of a District Court, or the clerk of a Court of Small Causes, and in other cases to the Presiding Judge:	**276. Remittance** ***from one Court or Tribunal to another - All moneys shall be remitted from one Court or Tribunal to another Court or Tribunal only through electronic mode.***
Provided that the money shall be remitted through electronic mode if the account number of the receiving court or establishment is available.	

6. Amendment in Rule 277 of Chapter XI–The existing rule 277 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows:

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
277. Deposits in cash Direct receipts of money which fall under head of Account (1) of Rule 273 shall, as far as possible, be avoided by courts, but where the distance between the court and the treasury is such that, in the opinion of the District Judge, inconvenience to applicants would arise, he may sanction the receipt by the Receiving Officer of cash deposits not exceeding Rs. 50 each:	**277. Deposits in cash** Direct receipts of money which fall under head of Account (1) of Rule 273 shall, as far as possible, be avoided by courts, but where the distance between the court and the treasury is such that, in the opinion of the District Judge, inconvenience to applicants would arise, he may sanction the receipt by the Receiving Officer of cash deposits not exceeding ***Rs. 5000 each:***
Provided that where remittances to the nearest sub-treasury are not made daily by the Receiving Officer of any court, the limit of cash receivable under a single deposit shall be Rs. 10.	Provided that where remittances to the nearest sub-treasury are not made daily by the Receiving Officer of any court, the limit of cash receivable under a single deposit shall be ***Rs. 1000/-.***
Cash, however, must be received when tendered under Head of Account (1) in the following cases-	Cash, however, must be received when tendered under Head of Account (1) in the following cases-
(1) When the court is over 5 miles from the nearest treasury.	(1) When the court is over 5 miles from the nearest treasury.

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
(2) When the money is payable into court under any of the following provisions of law, namely, Section 55, Order XX, Rules 11 and 14, and Order XXI, Rules 84 and 85 of the Code, and Section 379 (1) of Act XXXIX of 1925, and is tendered after the hour prescribed in Rule 279.	(2) When the money is payable into court under any of the following provisions of law, namely, Section 55, Order XX, Rules 11 and 14, and Order XXI, Rules 84 and 85 of the Code, and Section 379 (1) of Act XXXIX of 1925, and is tendered after the hour prescribed in Rule 279.
(3) When the proceeds of movable property, sold in execution through the officer of a civil court, under Order XXI, Rule 77, cannot be paid into the treasury on the day of sale.	(3) When the proceeds of movable property, sold in execution through the officer of a civil court, under Order XXI, Rule 77, cannot be paid into the treasury on the day of sale.
Repayments of money falling under Head of Account (1) shall be made through the treasury.	Repayments of money falling under Head of Account (1) shall be made through the treasury.
N.B.-Also consult Appendix XVII of Financial Hand Book, Volume V, Part I.	**N.B.-**Also consult Appendix XVII of Financial Hand Book, Volume V, Part I.

7. Amendment in Rule 279 of Chapter XI– The existing rule 279 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows:

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
279. Time for receipt of deposits–The time during which cash payable into court may be received is from the opening of the court until a time which shall, except as hereinafter provided, be one hour in advance of the time fixed for the closing to the public of the treasury; and the accounts for the day shall then be made up. But even after this hour cash payable under Head of Account (1) must be received in the cases mentioned in Rule 277; such transactions shall be entered in the accounts bearing date of the next open day; but the receipts given to the payer shall also show (as a denominator) the actual date of payment, e.g., November 7/6:	**279. Time for receipt of deposits**–The time during which cash payable into court may be received is from the opening of the court until a time which shall, except as hereinafter provided, be one hour in advance of the time fixed for the closing to the public of the treasury; and the accounts for the day shall then be made up. But even after this hour cash payable under Head of Account (1) must be received in the cases mentioned in Rule 277; such transactions shall be entered in the accounts bearing date of the next open day; but the receipts given to the payer shall also show (as a denominator) the actual date of payment, e.g., November 7/6:
Provided that the District Judge, having regard to local circumstances, may prescribe the hours during which money may be received in any court within his jurisdiction.	Provided that the District Judge, having regard to local circumstances, may prescribe the hours during which money may be received in any court within his jurisdiction.
	Provided further, money may be deposited through electronic mode, by midnight of the last date of such deposit.

8. Amendment in Rule 283 of Chapter XI–The existing rule 283 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows:

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
283. Mode of payment of money into Court Payment of money into Court shall ordinarily be made by electronic mode, or, with the permission of the concern court or authority, by means of a tender upon a printed triplicate form (These forms may be obtained from licensed stamp vendors). The applicants shall enter in the Court language the particulars required in columns 1 to 4 of the triplicate Form of Tender (Form No. 44) and shall affix to one of the tenders, herein called the Original Tender, the Court fee stamp, if any, required by law. The applicant shall then hand over the tender to the Munsarim or clerk of the Court. When a judgment debtor pays decree money into Court, the form of tender to be used shall be No. 45.	**283. Mode of payment of money into Court** ***Payment of money into Court under clauses (i) to (viii) of Rule 273 (1) shall ordinarily be made by electronic mode, or demand draft or bankers' cheque. With permission of the concerned Court such money may be deposited in cash, by means of a tender upon a printed triplicate form.*** ***The applicants shall enter in the Court language the particulars required in columns 1 to 4 of the triplicate Form of Tender (Form No. 44) and shall affix to one of the tenders, herein called the Original Tender, the Court fee stamp, if any, required by law. The applicant shall then hand over the tender to the Munsarim or clerk of the Court. When a judgment debtor pays decree money into Court, the form of tender to be used shall be No. 45.***
NOTE (1) No stamp is required for a tender of money which a party is bound to pay into Court in the progress of a suit or to complete a purchase in cases where the payment is voluntary, as in the case of deposits made under Order XXIV, Rule 1, or by a *morigagor* and the like, a stamp is required unless the tender be accompanied by a duly stamped application giving particulars of the payment. Also see G.L. 3147/4418(5) of 11-11-1919.	**NOTE** (1) No stamp is required for a tender of money which a party is bound to pay into Court in the progress of a suit or to complete a purchase in cases where the payment is voluntary, as in the case of deposits made under Order XXIV, Rule 1, or by a *morigagor* and the like, a stamp is required unless the tender be accompanied by a duly stamped application giving particulars of the payment. Also see G.L. 3147/4418(5) of 11-11-1919.
(ii) In the case of sums deposited under section 379(1) of Act No. XXXIX of 1925, the tender shall show that the amount is deposited to the credit of the Judge.	(ii) In the case of sums deposited under section 379(1) of Act No. XXXIX of 1925, the tender shall show that the amount is deposited to the credit of the Judge.

9. Amendment in Rule 289 of Chapter XI– The existing rule 289 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows:

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
289. Remittance of receipts to the treasury– Except as hereinafter in this rule provided, the sums entered in the pass-book shall as soon as possible after the time for receiving money under Rule 279 has expired, be forward on the day of receipt to the treasury, together with the Pass-book and an extract there from, showing the several classes of receipts in their appropriate columns. The extract shall be	**289. Remittance of receipts to the treasury**– Except as hereinafter in this rule provided, the sums entered in the pass-book shall as soon as possible after the time for receiving money under Rule 279 has expired, be forwarded on the day of receipt to the treasury, together with the Pass-book and an extract there from, showing the several classes of receipts in their appropriate columns. The extract shall be

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
retained by the Treasury Officer, who shall return the passbook with the acknowledgement thereon of receipt of the remittance. Provided that when there is no sub treasury in the same town as an 'Outlying Court and Gram Nyayalaya', remittances of cash from such 'Outlying Court and Gram Nyayalaya' to the treasury, accompanied by the Pass-book, shall be made twice in the week instead of daily.	retained by the Treasury Officer, who shall return the passbook with the acknowledgement thereon of receipt of the remittance. Provided that when there is no sub treasury in the same town as an 'Outlying Court and Gram Nyayalaya', remittances of cash from such 'Outlying Court and Gram Nyayalaya' to the treasury, accompanied by the Pass-book, shall be made twice in the week instead of daily.
Note 1–For every animal committed to the custody of the pound keeper as aforesaid, a charge shall be lived, as rent for the use of the pound for each 15 or part of 15 days during which such custody continues According to the scale prescribed under section 12 of Act No. 1 of 1871.	**Note 1**–For every animal committed to the custody of the pound keeper as aforesaid, a charge shall be lived, as rent for the use of the pound for each 15 or part of 15 days during which such custody continues According to the scale prescribed under section 12 of Act No. 1 of 1871.
And the sums so levied shall be sent to the treasury for credit to the Municipal or District Board, as the case may be, under whose jurisdiction the pound is. All such sums shall be applied in the same manner as fines levied under section 12 of the said Cattle Trespass Act.	And the sums so levied shall be sent to the treasury for credit to the Municipal or District Board, as the case may be, under whose jurisdiction the pound is. All such sums shall be applied in the same manner as fines levied under section 12 of the said Cattle Trespass Act.
Note 2– Proceeds of sales effected under orders of the Commissioner under the last para of Sec. 7 of Regulation V of 1799 as amended by Act No. IV of 1914 and Act No. XII (Local) of 1922 shall be entered in column 12 of the Pass book.	**Note 2**– Proceeds of sales effected under orders of the Commissioner under the last para of Sec. 7 of Regulation V of 1799 as amended by Act No. IV of 1914 and Act No. XII (Local) of 1922 shall be entered in column 12 of the Pass book.
Note 3 Sums entered in columns 11 to 19 of the Pass book shall not be brought into the Cash-book.	**Note 3** Sums entered in columns 11 to 19 of the Pass book shall not be brought into the Cash-book.
	Note 4– The money receivable under clauses (i) to (viii) of Rule 273 (1) shall be deposited in an approved bank.
	Note 5– Wherever, money deposited under clauses (i) to (viii) of Rule 273 (1) is not or cannot be disbursed immediately, it shall be retained in a case specific interest-bearing term deposit.

10. Amendment in Rule 291 of Chapter XI– The existing rule 291 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows:

EXISTING	*PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION*
291. Advice List.– Every receipt of deposit, either direct or by transfer, at the treasury, shall be recorded in an Advice List (Form No. 46) along with a soft copy thereof which shall be forwarded at the close of the day (or where the treasury banks with the State Bank, as soon after as possible) to the Receiving Officer of the Court concerned. The Advice List when received shall be filed in a book kept for the purpose along with a soft copy. Items receives under cover of the Receiving Officer's Pass-book shall be entered in a lump sum the Treasury Advice List so maintained.	**291. Advice List.**– Every receipt of deposit, either direct or by transfer, at the treasury, shall be recorded in an Advice List (Form No. 46) along with a soft copy thereof which shall be forwarded at the close of the day (or where the treasury banks with the State Bank, as soon after as possible) to the Receiving Officer of the Court concerned. The Advice List when received shall be filed in a book kept for the purpose along with a soft copy. Items receives under cover of the Receiving Officer's Pass-book shall be entered in a lump sum the Treasury Advice List so maintained. ***Provided : Every receipt of deposit made under clauses (i) to (viii) of Rule 273 shall be compared by the receiving officer of the Court, at the end of each month, with the register of deposits, to be maintained for that purpose.***
N.B. See also Rule 310, post-Ed.	N.B. See also Rule 310, post-Ed.

11. Insertion of Rule 296-A in Chapter XI.– Rule 296-A shall be inserted in Chapter XI of the Rules as follows:

296-A. All money lying in deposit under head (1)(i) to (1)(viii) of Rule 273 of this Chapter, from a date before the enforcement of The General Rules Civil (Amendment) Rules, 2022, shall be drawn from the Treasury and placed in 'case specific interest-bearing term deposit' with the 'approved bank'.

By Order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

पी0एस0यू0पी0–30 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।
मुद्रक एव प्रकाशक निदेशक, मुद्रण एव लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज

रजिस्टर्ड नं० ए०डी० 4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 30, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आकडे, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालो के आकडे, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत दोहरीघाट, जनपद मऊ

15 अक्टूबर, 2022 ई0

भवनों पर स्वकर निर्धारण उपविधि

सं0 191/न0प0दो0मऊ/2022-223–नगर पचायत वि0/उपविधियॉ–सयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, दोहरीघाट, जनपद-मऊ में भवनों व अन्य लाइसेन्सिग की नियमित एव नियन्त्रित करने हेतु निम्नलिखित उपनियम बनाये गये है। उपविधि पाण्डूलेखा नगर पालिका की धारा 301(2) के अन्तर्गत तैयार करके दिनाक 02 मई, 2022 को दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" वाराणसी एव दिनाक 03 मई, 2022 समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" वाराणसी में विहित रीति से तैयार करके प्रकाशित की गयी। जिन व्यक्तियो पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी, उन व्यक्तियों से आपत्ति/सुझाव इस उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमत्रित किया गया था। निर्धारित अवधि के अन्दर एक भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई

अतः नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ उक्त उपविधि का प्रकाशन अपने सीमा के अन्तर्गत लाइसेन्सिग शुल्क वसूली हेतु प्रकाशित की जाती है। जो गजट मुद्रण दिनाक से प्रभावी होगी।

1–नगर पंचायत दोहरीघाट स्वकर निर्धारण उपविधि

1–**नाम**–यह नियमावली स्वकर निर्धारण उपविधि नगर पचायत, दोहरीघाट के नाम से जानी जायेगी।

2 **अर्थ**–स्वकर निर्धारण प्राणाली के तहत भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस नियमावली में उल्लिखित दरो के आधार पर आगणन कर भवन पर कर निर्धारण कर सकेगा।

3–**परिभाषायें**–इस नियमावली में–

(1) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पचायत दोहरीघाट से है।

(2) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(3) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पचायत दोहरीघाट, मऊ से है।

(4) "अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड" से तात्पर्य नगर पचायत दोहरीघाट, मऊ के अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड से है।

(5) सम्पत्ति का तात्पर्य नगर पचायत दोहरीघाट की सीमा स्थित भूमि/भवन या दोनों से है।

(6) स्वकर निर्धारण का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस नियमावली सलग्न प्रपत्र "क" मे दाखिल किये जाने वाले स्वतः निर्धारण विवरण से है।

(7) "अध्यासी" का तात्पर्य नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ की सीमान्तर्गत भवन एव भूमि पर अध्यासन करने वाले व्यक्तियो से है।

(8) "आवासीय भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमे रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो और आवासीय उपयोग का प्राविधान हो किन्तु, उसमें व्यवसायिक उददेश्य से उपयोग हेतु होटल/लॉज/दुकान या अन्य किसी प्रकार के भवन सम्मलित न होगें।

(9) "आवासीय भवन" या "व्यवसायिक भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिनका प्रयोग व्यवसायिक/औद्यौगिक/गैर आवासीय गतिविधियो हेतु किया जा रहा हो।

(10) "मिश्रित भवन" से तात्पर्य उस भवन से है जिसमे आवासीय/औद्यौगिक/गैर आवासीय गतविधियॉ सचालित हो रही है।

(11) "पक्का भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी दीवार, ईंट/पत्थर या ऐसे किसी समाग्री से निर्मित हो तथा जिसकी छत आर0सी0सी0 व आर0बी0सी0 पद्यति से निर्मित हो।

(12) "अन्य पक्का भवन/अर्ध पक्का" से तात्पर्य ऐसे भवन है, जिसकी छत कडी, पटिया एवं गार्डरों तथा लोहा/सीमेट/फाइबर की चादर से निर्मित हो।

(13) "कच्चा भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी दीवार बिना सीमेट से निर्मित हो तथा छत अस्थाई साधनों यथा छप्पर, टीन शेड, प्लास्टिक, लोहा, सीमेट की यादर इत्यादि से निर्मित हो।

(14) "लाट/खाली प्लाट" से तात्पर्य ऐसे अकृषि क्षेत्र भूमि से है जो कम से कम दो फुट की बाउण्ड्री से घिरा हो।

(15) "मासिक किराया दर" से तात्यर्य इस उपविधि में भवनों/भूमि कारपेट आच्छादित क्षेत्रफल के लिये निर्धारित प्रतिवर्ग फुट किराये से है

(16) "वार्षिक मूल्य" से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 मे निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है। जिसमे आवासीय या अनावासीय भूमि के प्रति वर्गफुट किराये की मासिक दर मे नियमावली द्वारा निर्धारित किये जाने वाले गुणक से गुणा करके निकालने पर निकाले गये मूल्य का 12 गुणा जो भवन के सन्निर्माण की प्रकृति भारतीय स्टाम अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय दर और ऐसे भवन व भूमि के लिए क्षेत्र में किराये के लिए लागू वर्तमान दर और ऐसे अन्य कारको के आधार पर और ऐसे ढग में जैसा की विहित किया जाये, प्रत्येक दो वर्ष मे एक बार निर्धारित की जाय।

(17) "अच्छादित क्षेत्रफल" से तात्पर्य कुर्सी के उपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।

(18) "कार्पेट एरिया" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट कार्पेट एरिया से है। कार्पेट एरिया की गणना।

(19) "मुख्य मार्ग" से तात्पर्य निकाय क्षेत्र के प्रमुख मार्ग जिनकी चौड़ाई दस फुट से अधिक हो जबकि "अन्य मार्ग" से तात्पर्य जिनकी चौडाई दस फुट से कम हो। मार्ग की चौडाई मार्ग के दोनो ओर स्थित सरकारी नाली/नाला की बीच की दूरी से है।

2–कार्पेट एरिया वार्षिक मूल्य (ए0आर0बी0) Annual Rental Value

(क) अधिनियम की धारा 140 (1) खण्ड क के अनुसार वार्षिक मूल्य से तात्पर्य इस नियमावली के अनुसार नियत आवासीय एवं अनावासीय भवनों के प्रति वर्ग फुट मासिक किराये की दर में नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले गुणक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुणा मूल्य से है।

वार्षिक मूल्य=आवासीय/अनावासीय क्षेत्र का कार्पेट एरिया x निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर x 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल **X** निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12 का 80 प्रतिशत वार्षिक मूल्य वार्षिक मूल्याकन (ए0आर0बी0) के निर्धारण हेतु प्रति वर्ग फुट मासिक किराया की दरे अधिनियम की धारा 140 मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी। वार्षिक मूल्य की गणना हेतु कार्पेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जाएगी।

(1) कमरे		आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप
(2) आच्छादित बरामदा		आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।
(3) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार	–	आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप
(4) गैराज		आन्तरिक आयाम की 1/4 माप।
(5) स्नानगृह, शौचालय, द्वार मण्डप और जीने से अच्छादित क्षेत्र		कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

अथवा

कारपेट एरिया–आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत भाग

(ख) "भवन/भूमि" पर कर के निर्धारण का सम्बन्ध केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कर के अधिरोपण से है न कि किसी प्रकार के स्वामित्व निर्धारण से है करारोपण हेतु एक सर्वेक्षण करवाया जायेगा, जिसमे आवासीय और व्यावसायिक भवनो को पृथक-पृथक सख्या आवटित की जायेगी। यदि कोई भवन/सम्पत्ति आवासीय है तो उसको R-1, R-2 ...तथा यदि भवन/सम्पत्ति व्यवसायिक है तो उसे C-1, C-2,. आदि डाली जायेंगी और यदि भवन मिश्रित है तो उसे CR-1, CR-2 .... संख्या डाली जायेगी।

(ग) यदि भवन या भूमि में संयुक्त रूप से कई पक्षकार है तो आपसी सहमति से आवासीय भवनों/सम्पत्ति की नम्बरिंग R-1/1, R-1/2 .....व्यवसायिक भवन है तो C-1/1, C-1/2.. तथा मिश्रित भवनो हेतु CR-1/1, CR-1/2.....

(घ) भवनों/सम्पत्ति का पूर्ण विवरण निर्धारण प्रपत्र "क" पर भरकर नगर पचायत दोहरीघाट, मऊ के कार्यालय मे जमा किया जायेगा। यदि भविष्य मे भवन का विस्तार या उसके प्रयोग मे कोई परिवर्तन होता है तो उसका विवरण प्रपत्र "ख" में भरकर नगर पंचायत, कार्यालय दोहरीघाट में जमा किया जायेगा। यदि भविष्य में भवन का विस्तार या उसके प्रयोग मे कोई परिवर्तन होता है तो उसका विवरण प्रपत्र "ख" मे भरकर नगर पचायत, दोहरीघाट कार्यालय में जमा किया जायेगा। प्रपत्र "क" व "ख" नगर पचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकेगा।

3–कर की दर-(क) कर का निर्धारण प्रमुख मार्गों जिनकी चौडाई दस फुट से अधिक तथा अन्य मार्गों जिनकी चौडाई दस फुट से कम होगी, के आधार पर निम्न सूचियों मे उल्लिखित प्रति वर्गफुट मूल्य के वार्षिक मूल्य के अनुसार किया जायेगा।

प्रमुख मार्गों (दस फुट से अधिक चौड़ाई) पर स्थित सम्पत्तियों हेतु कर की दर

क्र0	प्रमुख मार्ग पर स्थित सम्पत्ति	आवासीय क्षेत्र (मूल्य प्रतिवर्ग फुट रु0 मे)			वाणिज्यिक क्षेत्र (मूल्य प्रतिवर्ग फुट रु0 में)	प्लाट/खाली प्लाट (मूल्य प्रति वर्ग फुट रु0 में)
		पक्का	अर्द्ध पक्का	कच्चा		
1	2	3	4	5	6	7
		रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
1	लाहावरी माता मदिर तिराहा से आजमगढ मेन रोड पर नगर पचायत सीमा तक।	0 50	0 40	0 30	0.90	0 35
2	लाहावरी माता मदिर तिराहा से सब्जी मण्डी होते हुए रसलोक स्वीट्स तक।	0 50	0 40	0 30	0.90	0 35
3	विजय चौक से पुलिस चौकी तक	0.50	0.40	0.30	0.90	0.35
4	पुलिस चौकी से वसुन्धरा स्वीट्स होते हुए मऊ के रोड पर नगर पचायत सीमा तक।	0 50	0 40	0 30	0.90	0 35
5	पुलिस चौकी से जीवन धारा हास्पिटल होते हुए गोरखपुर रोड पर नगर पचायत सीमा तक।	0 50	0 40	0 30	0.90	0 35

अन्य सहायक मार्गों पर स्थित सम्पत्तियों हेतु कर की दर

क्र0	मार्ग की चौड़ाई 6 फुट से 10 फुट के बीच					मार्ग की चौडाई 5 फुट से कम				
	आवासीय			वाणिज्यिक क्षेत्र (मूल्य प्रति वर्ग फुट रु0 में)	प्लाट/खाली प्लाट (मूल्य प्रतिवर्ग फुट रु0 में)	आवासीय			वाणिज्यिक क्षेत्र (मूल्य प्रति वर्ग फुट रु0 में)	प्लाट/खाली प्लाट (मूल्य प्रतिवर्ग फुट रु0 में)
	पक्का	अर्द्ध पक्का	कच्चा			पक्का	अर्द्ध पक्का	कच्चा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
1	0.35	0.25	0.15	0.65	0.10	0.25	0.20	0.15	0.50	0.05

(ख) (1) सडकों की चौडाई के संबंध में कोई भी विवाद होने पर अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) गृहकर वार्षिक मूल्य का दस प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत होगा जिसे प्रत्येक दूसरे वर्ष अधिशासी अधिकारी द्वारा दस प्रतिशत बढाया जायेगा। दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि निकाय बोर्ड की स्वीकृत के उपरान्त की जा सकेगी।

(3) जिस सम्पत्ति के वार्षिक मूल्याकन के मूल्य का 5 प्रतिशत रु0 360.00 से अधिक होगा, उस पर ही जलकर देय होगा। यदि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्याकन के मूल्य का 5 प्रतिशत रु0 360.00 से कम है तो उस पर जल मूल्य देय होगा।

(4) जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित भवन को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन से लिया गया हो, जो इसके 03 माह के अन्दर प्रपत्र "ख" में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) जब कभी भवन के कार्पेट एरिया/भूमि के क्षेत्रफल अथवा दोनो मे कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है तो उसके 03 माह के अन्दर यथास्थिति भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा प्रपत्र "ख" में की पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4–वार्षिक मूल्यांकन में कमी/वृद्धि–वार्षिक मूल्यांकन में कमी या वृद्धि इस प्रकार से होगी

(क) स्वतः अध्यासित भवनों के लिये छूट–

[1] 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्याकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

[2] 10 वर्ष से 20 वर्ष तक भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

[3] 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्याकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

नोटः–व्यवसायिक/औद्योगिक भवन/भूमि होने की दशा मे कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) किराये पर उठाये गये आवासीय भवनो के वार्षिक मूल्यांकन मे वृद्धिः–

[1] 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्याकन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

[2] 10 वर्ष से 20 वर्ष के अधिक पुराने भवनो के वार्षिक मूल्याकन में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी

[3] 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनो के वार्षिक मूल्याकन मे कोई वृद्धि नहीं होगी तथा इसे आगणित वार्षिक–मूल्याकन के बराबर समझा जायेगा।

(ग) निम्नलिखित सम्पत्तियॉ करो के उद्ग्रहण से मुक्त होगी

[1] मृतको के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि।

[2] भवनों और भूमि या उनके भाग जिनका अधिभोग और उपभोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा के लिए किया जाता हों।

[3] भवन, जिनका उपयोग, अनन्य रूप से विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में किया जाता हो, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा मान्यता हो अथवा न हो।

[4] प्राचीन सस्मारक परीक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाशित प्राचीन सस्मारक जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध मे राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्याधीन हो।

[5] किसी स्वामी द्वारा अध्यासित भवन जो 30 वर्गमीटर या 322.8 वर्गफुट की माप वाले तथा 15 वर्गमीटर तथा 161.4 वर्गफुट तक कारपेट क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड पर निर्मित हो, उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पचायत दोहरीघाट मे सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन/भू-खण्ड न हो वार्षिक मूल्य की गणना नहीं की जायेगी, कर से मुक्त होगी।

[6] समस्त भवन एव सम्पत्ति जो नगर पचायत दोहरीघाट, मऊ के स्मामित्व मे हों।

नोटः–(1) उक्त सम्पतियो मे यदि अन्य व्यावसायिक कार्य किया जाता है तो तद्नुसार उस पर कर का निर्धारण एवं उद्ग्रहण किया जायेगा।

(2) रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवन जो नगर पचायत दोहरीघाट, मऊ के सीमान्तर्गत है उसके किराये का निर्धारण उक्त अधिनियम के बजाय उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानो के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।

5–"कर की देयता"–

(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। यदि कर की धनराशि अधिक जमा कर ली गई है तो जॉचोपरान्त अधिक जमा की गई धनराशि की वापसी किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्षों मे किया जायेगा।

(ख) स्वामी या अध्यासी पर कर की देयता अग्रिम होगी जिसे प्रत्येक दशा मे 31 मार्च के पहले जमा करना होगा। दिसम्बर तक अग्रिम कर जमा करने पर निकाय बोर्ड, कर मे छूट दे सकेगी जिसमे अधिशासी अधिकारी क्षेत्रवार कैम्प लगाकर कर की वसूली कर सकेगा। परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) तक करों का भुगतान न होने की

दशा मे गत वर्ष के गृहकर के चालू मॉग पर 10 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा, जो 01 अप्रैल से लागू होगा। परन्तु जिन सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्यांकन में विवाद या किसी प्रकार के न्यायालयी विवाद के लम्बित रहने की दशा में विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी सरचार्ज मे छूट प्रदान कर सकता है।

(ग) जिन भवनों/व्यापारिक भवनों में किरायेदार और सर्वे में भवन स्वामी का पता नही चलता है तो ऐसे भवनो के किरायेदार/अध्यासी को ही गृहकर का भुगतान करना होगा परन्तु करो के भुगतान से उसका स्वामित्व सिद्ध नहीं होगा।

(घ) यदि एक ही घर में कई परिवार या हाउस होल्ड हैं तो आपसी सहमति से वे अलग-अलग कर दे सकेगें जिसका निर्धारण नियमावली के बिन्दु संख्या-2 के कार्पेट एरिया व वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

(ड) यह कि नगर पचायत बोर्ड की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसी भी परिस्थिति हो नगर पालिका अधिनियम की धारा 158 (1) (2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उसकी सम्पत्ति आदि के बारे मे विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मागने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

6–सम्पत्ति को दर्ज करने व सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में उपबंधः–

(क) कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप मे (पर्याप्त साक्ष्य के साथ) अकित कराना चाहता है तो उस निर्धारित प्रपत्र "क" पर आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करने हेतु विचाराधीन है तो उसका उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा। अन्यथा उसके बाद कर सूची में आवेदन के अनुसार नाम कर निर्धारण सूची में अकित कर दिया जायेगा।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस का सम्पूर्ण बकाये कर के भुगतान के साथ मृत्यु के दिनाक से तीन माह के भीतर इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा ताकि करारोपण उनके वारिसो पर किया जा सकें। परन्तु यदि भवन अथवा भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व विक्रय पत्र के आधार पर हस्तानान्तरित होता है तो स्वत्व सस्था ऐसे हस्तानान्तरण के तीन माह के अन्दर उसकी सूचना प्रेषित करना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरण में विक्रय विलेख के बाजारी मूल्य के अनुसार नामान्तरण हेतु शुल्क निम्नवत् होगा

(1) रु0 1 00 से 1,00,000 00 बाजारी मूल्य तक' 200 00
(2) रु0 1,00,001 00 से 2,00,000.00 बाजारी मूल्य तक–300 00
(3) रु0 200,001.00 से 3,00,000.00 बाजारी मूल्य तक–500.00
(4) रु0 3,00,001 00 से 5,00,000.00 बाजारी मूल्य तक–1,000 00
(5) रु0 5,00,001 00 से 1,50,0000 00 बाजारी मूल्य तक 1,500 00
(6) रु0 15,00,001 00 से अधिक बाजारी मूल्य पर 2,500 00

(ग) गृहकर पजिका मे नामान्तरण अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नोटः–यदि किसी भवन/भूमि का क्रेता या उत्तराधिकारी तीन माह के अन्दर नामान्तरण हेतु सूचना देने में असफल रहता है तो तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उपरोक्तानुसार निर्धारित फीस के साथ-साथ विलम्ब शुल्क रु0 500 00 देय होगा। नगर पचायत दोहरीघाट, मऊ की ओर अधिशासी अधिकारी जैसी भी परिस्थिति हो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 158(1)(2) के अन्तर्गत पत्र/कर्मचारी भेजकर किसी भवन/भूमि के स्वामी का उसकी सम्पत्ति के विवरण के दस्तावेज माग सकेगा

7–शास्तिः–

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ यह निर्देश देती है कि

(1) उपर्युक्त नियमावली के किसी भी नियम का उल्लघन करना दण्डनीय अपराध होगा जिसके जुर्माने की सीमा रु0 1,000 00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकती है और यदि उल्लघंन जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनाक के पश्चात् से प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे मे ये सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है कि रु0 25 00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन हो सकता है।

(2) कार्पेट एरिया में 10 प्रतिशत या उससे अधिक के परिवर्तन होने पर या प्रयोग बदलने पर (निर्माण पूर्ण होने या प्रयोग बदलने के तीन माह के भीतर) स्वामी/अध्यासी को निर्धारित प्रारूप "ख" पर सूचना देनी होगी। ऐसा करने में असमर्थ पाये जाने पर रु0 1,000 00 (रु0 एक हजार) का अर्थदण्ड देय होगा।

(3) निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वामी/अध्यासी द्वारा विवरण न प्रस्तुत किये जाने पर रु0 1,000 00 (रु0 एक हजार) का अर्थदण्ड देना होगा।

(4) नियम–7 के उपनियम 1, 2 व तीन के अधीन शास्तियों का प्रशमन अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा शारित के अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनाधिक धनराशि पर किया जा सकेगा मे निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए।

प्रपत्र "क"

सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

i. स्वामी/अध्यासी का नाम.....

ii. स्वामी/ अध्यासी के पिता का नाम.....

iii. भवन/मकान भू-भाग पर स्थित.....

iv. किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो.....

v. अगर भवन पर नाम नही हो तो.....

vi. स्वामी/अध्यासी का स्थाई पता.....

2 निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा.....

i. समस्त कमरो और आच्छादित बरामदों का पूर्ण आतरिक आयाम (वर्ग फुट में).....

ii. समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में).....

iii. समस्त गैराज का आतरिक आयाम की एक चौथाई माप (वर्ग फुट में).....

टिप्पणी:–स्नान गृह, शौचालय पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नही होगा

3 भवन का कारपेट एरिया (वर्ग फुट में) =(i)+1/2 (ii) +1/4 (iii) वर्ग फुट

4 (i) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में).....

(ii) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में). .....

5 (अ) भवन अवस्थित है

1 दस फुट से अधिक चौडाई भूमि (नियम 3) क्र0सं0 1 से 7 तक ( )

2. दस फुट से अधिक चौडाई मार्ग पर नियम 3 क्र0स0 8 ( )

3. 6 फुट से 10 फुट के बीच मार्ग पर ( )

4. 5 फुट से कम चौडे मार्ग पर ( )

(ब) भवन के निर्माण की प्रकृति .

1 पक्का भवन, आर सी सी छत या आर0बी0बी0सी0 छत सहित ( )

2. अन्य पक्का भवन ( )

3 कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन तो (1) और (2) से आच्छादित नही है। ( )

(स) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नही है) अवस्थित है।

1 दस फुट से अधिक चौडाई भूमि नियम 3 क्र0स0 1 से 5 तक ( )

2. दस फुट से अधिक चौडाई मार्ग पर नियम 3 क्र0स0 4 ( )

3 6 फुट से 10 फुट के बीच मार्ग पर ( )

4. 5 फुट से कम चौडे मार्ग पर ( )

टिप्पणी : कृपया उपर्युक्त 1, 2, 3 या 4 के खाने मे जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

6–भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी : यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा।

7 भवन के निर्माण वर्ष.....

8–(1) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर.....प्रति वर्ग फुट।

(2) अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो रु0.....प्रति वर्ग फुट।

9–(1) भवन का वार्षिक मूल्य – 12 x अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर x भवन कारपेट एरिया मूल्य = 12x8 (i)x भवन का कारपेट एरिया (3)

या

12 x अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर x आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत

(2) भूमि का वार्षिक मूल्य यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो =12x अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर x भूमि का क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत = 12x8 (ii)x4(ii)

10–(1) भवन का सामान्य गृहकर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य x सामान्य गृहकर दर/100

(2) भवन का जलकल = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य x जलकर दर/100

(3) भवन का निस्तारण कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य x जल निस्तारण दर/100

(4) भवन का स्वच्छता कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य x स्वच्छता की दर/100

11–भूमि पर सामान्य कर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो मे –9(ii) में यथा उल्लिखित वार्शिक मूल्य x सामान्य कर दर/100

12–अधिशासी अधिकारी द्वारा कर करने के लिये निर्धारित नियत दिनाक.....

13–जमा किये गये कर का विवरण :–

क्र0सं0	कर	बकाया	वर्तमान कर	योग	महायोग	जमा कर की रसीद संख्या व दिनांक
1	गृहकर					
2	जलकर					

सत्यापन

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्याकन कर विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहा तक मेरी जानकारी और विश्वास है ठीक और पूर्ण है। उक्त मूल्याकन मात्र कर सचय हेतु किया जा रहा है जिसका स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दिनाक.....

अभिस्वीकृति

अनुप्रमाणक साक्षी
हस्ताक्षर.....
पिता/माता का नाम.....
पूरा पता.....

हस्ताक्षार.....
नाम.....
पिता/माता का नाम.....
पूरा पता.....

नोट : प्रपत्र क, ख भवन स्वामी के प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के अन्दर वाछित सूचना भरकर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कराये, अन्यथा विभाग द्वारा प्रपत्र ख भरकर आपके भवन का कर निर्धारण कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वय आपकी होगी।

प्रपत्र "ख"

सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

1

(i) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(ii) स्वामी/ अध्यासी के पिता का नाम.....

(iii) भवन/मकान भू-भाग पर स्थित.....

(iv) किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो. ....

(v) अगर भवन पर नाम नहीं हो तो.....

(vi) स्वामी/अध्यासी का स्थाई पता.. ....

2–निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा.. ....

(i) समस्त कमरो और आच्छादित बरामदों का पूर्ण आतरिक आयाम (वर्ग फुट में).....

(ii) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में)..... ....

(iii) समस्त गैराज का आतरिक आयाम की एक चौथाई माप (वर्ग फुट में).....

टिप्पणी : स्नान गृह, शौचालय पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

3–भवन का कारपेट एरिया (वर्ग फुट मे) =(i)+1/2 (ii) +1/4 (iii) वर्ग फुट

4–

(i) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट मे).....

(ii) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट मे).....

5–(अ) भवन अवस्थित है।

(1) दस फुट से अधिक चौडाई भूमि (नियम 3) क्र0स0 1 से 7 तक ( )

(2) दस फुट से अधिक चौडाई मार्ग पर नियम 3 क्र0स0 4 ( )
(3) 6 फुट से 10 फुट के बीच मार्ग पर ( )
(4) 5 फुट से कम चौड़े मार्ग पर ( )

(ब) भवन के निर्माण की प्रकृति :

[1] पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0बी0सी0 छत सहित ( )
[2] अन्य पक्का भवन ( )
[3] कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन तो (1) और (2) से आच्छादित नही है ( )

(स) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है।

[1] दस फुट से अधिक चौडाई भूमि (नियम 3) क्र0स0 1 से 7 तक ( )
[2] दस फुट से अधिक चौडाई मार्ग पर (नियम 3) क्र0स0 8 ( )
[3] 6 फुट से 10 फुट के बीच मार्ग पर ( )
[4] 5 फुट से कम चौडे मार्ग पर ( )

टिप्पणी : कृपया उपर्युक्त 1, 2, 3 या 4 के खाने मे जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

6–भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमे से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी : यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा।

7–भवन के निर्माण वर्ष.....

सत्यापन

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन कर विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ठीक और पूर्ण है। उक्त मूल्याकन मात्र कर सचय हेतु किया जा रहा है जिसका स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दिनांक.....

अभिस्वीकृति

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षार.....

हस्ताक्षर. .....

नाम. .....

पिता/माता का नाम.....

पिता/माता का नाम.....

पूरा पता.....

पूरा पता.....

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र ''क'' एव ''ख'' प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिये गये हैं।

i- स्वामी/अध्यासी का नाम.....

ii- स्वामी/ अध्यासी के पिता का नाम.....

iii- भवन/मकान भू-भाग पर स्थित.....

iv- किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो.....

v- अगर भवन पर नाम नही हो तो.....

vi- स्वामी/अध्यासी का स्थाई पता.....

नोट : इस प्रविष्ट का अंकन मात्र 'कर' सचय की दृष्टि से है।

दिनाक .

कर्मचारी हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....

बेदाना,
अध्यक्ष,
नगर पचायत, दोहरी घाट
मऊ।

कार्यालय, नगर पंचायत चिरैयाकोट, जनपद मऊ

लाइसेंन्सिंग शुल्क उपविधि

17 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 280/न0प0चिरैयाकोट मऊ/2022-223–नगर पचायत वि0/उपविधियॉ–सयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पचायत चिरैयाकोट-मऊ में दुकानों व अन्य लाइसेन्सिग की नियमित एव नियन्त्रित करने हेतु निम्नलिखित उपनियम बनाये गये हैं। उपविधि पाण्डूलेखा नगर पालिका की धारा 301(2) के अन्तर्गत तैयार करके दिनांक 16 जून, 2021 को दैनिक समाचार-पत्र "राष्ट्रीय सहारा" व "दैनिक काशीवार्ता" में विहित रिति से तैयार करके प्रकाशित की गयी जिन व्यक्तियो पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी, उन व्यक्तियो से आपत्ति/सुझाव इस उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमत्रित किया गया था। निर्धारित अवधि के अन्दर एक भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई।

अत: नगर पंचायत चिरैयाकोट-मऊ उक्त उपविधि का प्रकाशन अपने सीमा के अर्न्तगत लाइसेन्सिंग शुल्क वसूली हेतु प्रकाशित की जाती हैं। जो गजट मुद्रण दिनाक से प्रभावी होगी।

उपविधि

1–संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति–(1) यह नियमावली नगर पचायत चिरैयाकोट मऊ की सीमान्तर्गत वाणिज्य नियत्रण लाइसेस व अन्य शुल्क उपनियमावली, 2021 कहलायेगी।

(ख) यह नियमावली सरकारी गजट मे प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपनियम

1–यह नियम नगर पचायत चिरैयाकोट–मऊ की सीमा के अन्तर्गत लागू होगे।

2 नियमावली में निर्धारित दरें धनराशि शुल्क के रूप में कार्यालय नगर पंचायत चिरैयाकोट में अदा करके लाइसेन्स प्राप्त कर लिया जायेगा।

3–लाइसेन्स शुल्क की अवधि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक प्रार्थना-पत्र 15 मार्च तक दिया जायेगा और लाइसेन्स 15 अप्रैल तक जारी होगा।

4 लाइसेन्स शुल्क वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगी। लाइसेन्स के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र मे सम्पूर्ण विवरण स्थान विस्तृत पता दिया जाये।

5–नियमावली तालिका मे वर्णित मदों पर शुल्क लिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पचायत चिरैयाकोट–मऊ को है।

6–नगर पचायत चिरैयाकोट–मऊ के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश कर सकते है।

7 अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेन्स निर्गत कर सकता है।

8 जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उन्हे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा

9 इस उपविधि के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो उसके अन्तर्गत आते हैं। बिना शुल्क जमा किये दुकान नहीं चला सकेगा तथा पूर्व से चल रही दुकानो/व्यवसायों/मशीनरी आदि को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इस नियम के प्रभावी होते ही पूर्व से प्रभावी लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्को की दरे स्वत: ही निरस्त हो जायेंगी।

10–प्रत्येक व्यवसाय का लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

11–लाइसेन्स शुल्क निम्नानुसार तालिका के अनुरूप जमा करवाया जायेगा।

क्र0 सं0	मद	निकाय द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेस की दरें	क्र0 सं0	मद	निकाय द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस की दरें।
1	2	3	1	2	3
(A)	**होटल, रेस्टोरेन्ट व क्लब**	रु0	4	नर्सिग होम (20 बेड तक)	2,000 00
1	होटल लाजिंग हाउस, मैरिज हाल तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक	2,000 00	5	नर्सिग होम (20 बेड से ऊपर रु0 50 प्रति बेड तक)	3,000 00
2	तीन सितारा होटल	3,000 00	6	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	3,000 00
3	पाच सितारा होटल	5,000 00	7	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000 00
(B)	**नर्सिग होम**		8	प्राईवेट अस्पताल	5,000 00
9	पैथालॉजी सेटर	1,000.00	44	भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र	–
10	एक्सरे क्लीनिक	1,000 00	45	स्कूटर, मोटर, साइकिल रिपेयर	500 00
11	डेन्टल क्लीनिक	1,000.00	46	स्कूटर,तीन पहिया रिपेयरिंग शाप	1,000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	500 00	47	साइकिल पार्टस व साइकिल विक्रेता	500 00
(C)	**परिवहन**		48	साइकिल मरम्मत की दुकान	100 00
13	ऑटो रिक्शा 2 सीटर	300.00	49	आटा चक्की, स्पेलर, धान मशीन आदि	200 00
14	ऑटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	600 00	50	गन्ना, कोल्हू, आरा मशीन, धर्मकाटा	1,000 00
15	ऑटो रिक्शा 4 सीटर	500 00	**(F)**	**पेट्रोलियम**	
16	मिनी बस	1,000 00	51	दुकान तेल मिट्टी 100 गैलेन तक	500 00
17	बस	2,000 00	52	दुकान तेल मिट्टी 500 गैलेन तक	1,000 00
18	तागा	50.00	53	पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	2,000.00
19	रिक्शा किराये पर	100 00	54	पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प थोक विक्रेता	5,000 00
20	रिक्शा निजी चालित	100 00	55	जनरेटर डीजल प्रति नग	500 00
21	ठेला/ठेली	50 00	56	दुकान अन्य पेट्रोल उत्पाद	500 00
22	हाथ ठेला	20.00	(G)	अन्य	
23	बैलगाडी/भैंसा गाडी	50 00	57	गोदाम कबाड़/गूदड आदि	1,000 00
24	ट्राली	500.00	58	कोयला भट्टी	1,000.00
25	अन्य चार पहियो के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	1,000 00	59	जूता बनाने का कारखाना/ अन्य कारखाना बड़ा	2,000.00
(D)	**अन्य व्यवसाय**		60	जूता बनाने का कारखाना/ अन्य कारखाना छोटा	1,000.00
26	धुलाई गृह (लाण्ड्री)	200 00	61	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, टाइल, मारबल, ईटा, बालू, हार्डवेयर, सेनेटरी फुटकर एव अन्य उद्योग	1,000 00

1	2	3	1	2	3
27	ड्राई क्लीनर	500 00	62	बिजली का सामान थोक विक्रेता	500 00
28	फाइनेंस कम्पनी, चिट फंड	2,000 00	63	बिजली का सामान फुटकर विक्रेता	200 00
29	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	2,000 00	64	कपड़ा व्यापारी थोक	2,000 00
30	फाउन्डिग, इजीनियरिंग, इण्डस्ट्रियल	2,000 00	65	कपड़ा व्यापारी फुटकर	1,000 00
31	पशुवध (स्लाटर हाउस) प्रति पशु	20 00	66	बेकरी भट्टी	1,000 00
32	हड्डी खाल गोदाम	500.00	67	बेकरी पावर	1,000.00
33	बार/बियर	5,000.00	68	हेयर कटिंग सैलून छोटा (एक कारीगर)	100.00
34	आइस फैक्ट्री	500 00	69	हेयर कटिग सैलून छोटा (एक से अधिक कारीगर)	200 00
35	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2,000 00	70	कुकिंग गैस सिलेण्डर फिलिग फुटकर विक्रेता	1,000 00
36	देशी शराब (प्रति दुकान)	5,000 00	71	जनरल मर्चेन्ट थोक	500 00
37	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	8,000 00	72	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	200 00
38	भैंसा मास की दुकान	1,000 00	73	टेलरिंग हाउस (01 से 05 कर्मचारी तक)	500 00
39	बकरा मास/मछली की दुकान	500 00	74	टेलरिंग हाउस (05 कर्मचारी से अधिक)	1,000 00
(E) **पशुपालन**			75	कोयला थोक विक्रेता	2,000 00
40	पशुपालन प्रति पशु	100 00	76	कोयला फुटकर विक्रेता	500 00
41	काजी हाउस मे बन्द जानवरों पर जुर्माना	500 00	77	पेन्ट की दुकान	500 00
42	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरा आदि)	50 00	78	ज्वैलर्स बड़े (पाच लाख से अधिक से टर्नओवर)	2,000 00
43	प्रतिदिन खुराकी बडे जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	100.00	79	ज्वैलर्स बडे (एक लाख से पाच लाख टर्नओवर)	1,000.00
80	डेयरी फार्म	2,000.00	99	टी0 वी0 इलेक्ट्रानिक की दुकान	500.00
81	भूसा थोक विक्रेता	500 00	100	मिठाई की दुकान	200 00
82	भूसा फुटकर विक्रेता	500 00	101	सब्जी/फल विक्रेता	100 00
83	वी0डी0ओ0 लाइब्रेरी	500 00	102	मसाले फुटकर विक्रेता	100 00
84	केबिल टी0बी0	1,000.00	103	मसाले थोक विक्रेता	200.00
85	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड, थोक विक्रेता	2500 00	104	फर्नीचर मरम्मतकर्ता	500 00
86	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड, फुटकर विक्रेता	1,000 00	105	फर्नीचर विक्रेता	1,000 00
87	टेन्ट हाउस बडा (एक लाख रुपया से अधिक लागत)	500 00	106	क्राकरी फुटकर विक्रेता	100 00
88	टेन्ट हाउस छोटा (एक लाख रुपया लागत तक)	100 00	107	क्राकरी थोक विक्रेता	500 00
89	थोक तम्बाकू विक्रेता	5,000 00	108	लाउड स्पीकर किराये पर (पाच सेट तक)	500 00
90	स्थाई तम्बाकू विक्रेता	1,000.00	109	लाउड स्पीकर किराये पर (पाच सेट से अधिक)	1,000.00
91	अस्थाई तम्बाकू विक्रेता	200.00	110	खराद मशीन लकडी	2,000.00
92	चाय की दुकान खोखा	500.00	111	आभूषण मरम्मतकर्ता	1,000.00

1	2	3	1	2	3
93	मीठा, चाय की दुकान पक्की बड़ी	500.00	112	जूता, चप्पल मरम्मतकर्ता	100.00
94	किताबों के थोक विक्रेता	2,200.00	113	ट्रान्सफार्मर बिजली (प्रति ट्रान्सफार्मर)	500.00
95	किताबों के फुटकर विक्रेता	1,000.00	114	प्रति पोल विद्युत्	100.00
96	लकड़ी के टाल थोक विक्रेता	500.00	115	सब स्टेशन (प्रति वर्ग फुट)	100.00
97	लकड़ी के फुटकर विक्रेता	100.00	116	प्रिटिंग प्रेस	2,000.00
98	रेडियो मैकेनिक	500.00			

विलम्ब शुल्क

- सभी दुकानों व कारखानों पर प्रतिमाह रु0 100.00 (एक सौ रुपया मात्र) विलम्ब शुल्क देय होगा।
- लाईसेन्स शुल्क की अवधि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।
- लाईसेन्स शुल्क वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगी।
- नगर पंचायत चिरैयाकोट-मऊ के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान लाईसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं।
- प्रत्येक दुकान का लाईसेन्स लेना अनिवार्य हैं।

विविध नियमावली

1—नगर पंचायत चिरैयाकोट निर्गत प्रमाण-पत्र पर (जन्म-मृत्यु को छोड़ कर) रु0 200.00 (दो सौ रुपया) मात्र प्रति प्रमाण-पत्र देय होगा।

2—नगर पंचायत सीमा में आयोजित नुमाइश/मेला/प्रदर्शनी निजी जमीन मकान आदि पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 5,000.00 (पॉच हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

3—नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला/नाली/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 (पाँच सौ रुपया) मात्र तक हो सकता है पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) मात्र चार्ज किया जायेगा। बार-बार पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 चार्ज किया जायेगा।

4—नगर पंचायत की दुकान/भू-खण्ड आदि का किरायानामा स्टाम्प अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड कराना होगा।

5—नगर पंचायत स्वामित्व पर दुकान करने वाले व्यक्ति रु0 5.00 प्रति वर्ग फीट की दर से प्रतिमाह किराया देय होगा, जो सिर्फ भूमि का किराया माँगा जायेगा। युक्त नियम किसी प्रकार के स्वामित्व का निर्धारण नहीं करेगा।

6—नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में यदि 10 वर्ष पूर्व से नगर पंचायत के स्वामित्व के किसी भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा पाये जाने पर भू-सर्किल रेट से 10 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष जुर्माना देय होगा।

7—नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में सेक्शन मशीन प्रति चक्कर मु0-3,000.00 एवं नगर के बाहर 5.00 किमी0 तक रु0 3,500.00 मोबाईल शौचालय नगर क्षेत्र के अन्दर 1,000.00 व नगर क्षेत्र के बाहर रु0 2,000.00 देय होगा।

8—नगर क्षेत्र के अन्दर जे0सी0बी0 हेतु रु0 1,000.00 प्रति घण्टा एवं नगर क्षेत्र के अन्दर ट्रैक्टर-ट्राली रु0 1,000.00 प्रति चक्कर देय तथा ट्रैक्टर लोडर नगर क्षेत्र के अन्दर रु0 800.00 प्रति घण्टा होगा। अग्रिम बुकिंग की स्थिति में किसी शासकीय आदेश/कार्य की दशा में बुकिंग निरस्त कर दी जायेगी।

9—वाहन सर्विसिंग/वाहन धुलाई शुल्क रु0 1,200.00 रुपये निर्धारित किया जाता है।

10—तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस/नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता रु0 5,000.00, फुटकर स्थाई विक्रेता रु0 200.00 व गुमटी सहित अन्य अस्थाई विक्रेता रु0 100.00 प्रत्येक वर्ष देय होगा।

11—नगर पंचायत चिरैयाकोट-मऊ में बोर्ड प्रस्ताव के माध्यम से किराये का निर्धारण पाँच वर्ष में किया जायेगा।

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक का जुर्माना किया जा सकता है। यदि उल्लंघन बराबर जारी रखा तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनॉक से रु0 25.00 (पच्चीस रु0 मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है।

लीलावती,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, चिरैयाकोट,
जनपद मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पहले आरुष आर्य पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार नाम था। ज्योतिषाचार्य के अनुसार मैंने अपने पुत्र का नाम बदलकर लोकित सिंह पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार रख दिया है जिससे कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य और भविष्य उज्जवल हो सके। भविष्य में मेरे पुत्र को लोकित सिंह पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

धर्मेन्द्र कुमार।

सूचना

मेरे पुत्र अनन्त साहनी अनुक्रमांक 23126682 सरस्वती विद्या मंदिर सेकेन्ड्री रामबाग बस्ती से सन् 2021 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण है के अंकपत्र में माता का नाम जानकी देवी अंकित है, जो गलत है सही नाम जयंती पत्नी राकेश कुमार साहनी कानापार धानी फरेंदा है।

राकेश कुमार सहानी।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे सीबीएसई बोर्ड हाईस्कूल वर्ष 2016 अनुक्रमांक 5101280 सर्टिफिकेट में गलती से माता का नाम RADHA GUPTA है जबकि सही RADHIKA GUPTA है। हिमानी गुप्ता पुत्री गणेश प्रसाद निवास राजपुताना उत्तर टोला, जिला मऊ।

HIMANI GUPTA.

सूचना

मैं यश मेहरोत्रा पुत्र पवन कुमार मेहरोत्रा नि0 बी-16, सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ का हूँ, मेरे हाई स्कूल 2014 रोल नं0-1394382 एवं इण्टरमीडियट, 2016 रोल नं0-1046134 (यू0पी0 बोर्ड) के अंक-पत्र में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश पवन मेहरोत्रा अंकित है भविष्य में मुझे यश मेहरोत्रा पुत्र पवन कुमार मेहरोत्रा के नाम से पढ़ा लिखा व जाना जाय।

यश मेहरोत्रा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे घर का नाम सन्तोष यादव पुत्र भइया राम यादव है। मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम जितेन्द्र यादव पुत्र भइया राम यादव है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में घर का नाम सन्तोष यादव अंकित हो गया है, उपरोक्त दोनो नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे जितेन्द्र यादव पुत्र भइया राम यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

जितेन्द्र यादव,
पुत्र भइया राम यादव,
ग्राम मोकलपुर, पो0 गोबरहा,
थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s. Una Miricle Foods, 117/74 (A-13) Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005 की भागीदारी फर्म के पार्टनर शिप डीड, दिनांक 01 सितम्बर, 2017 में 19 सितम्बर, 2022 में व 26 सितम्बर, 2022 से निम्न परिवर्तन हुए है–

1. यह कि M/s. Una Miricle Foods, 117/74 (A-13) Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005 की पूर्व पार्टनर Shri Rahul Potdar, Adult son of Shri Rakesh Potdar, R/o 117/74, Sarvodaya Nagar, Kanpur की मृत्यु दिनांक 17 सितम्बर, 2022 को हो चुकी है।

2. यह उनके स्थान पर Smt. Mehak Potdar, Adult W/o Late Rahul Potdar, R/o 117/74, Sarvodaya Nagar, Kanpur को पार्टनर शिप डीड दिनांक 19 सितम्बर, 2022 में शामिल किया गया है।

3. यह कि Sanjhali Potdar, Adult Daughter of Shri Rakesh Potdar, R/o 117/74, Sarvodaya Nagar, Kanpur फर्म की साझीदार दिनांक 26 सितम्बर, 2022 को स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गयी हैं।

4. यह कि वर्तमान में फर्म की साझीदारी दिनांक 26.09.2022 से फर्म की निम्नवत् है–

1. Shri Rakesh Potdar, Adult son of Late G. C. Potdar, R/o 117/74, Sarvodaya Nagar, Kanpur.

2. Smt. Mehak Potdar, Adult W/o Late Rahul Potdar, R/o 117/74, Sarvodaya Nagar, Kanpur.

Rakesh Potdar,
साझीदार,
M/s. Una Miricle Foods,
117/74 (A-13) Sarvodaya Nagar,
Kanpur-208005.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स बांके बिहारी बिल्डर्स, गर्वमेनट कोन्ट्रेक्टर्स एण्ड सप्लायर्स 24/764, गली छत्ता मस्जिद, पट्टी चौधरान, बडोत, जिला-बागपत-250611 की साझीदारी में श्री प्रफुल्ल गुप्ता एवं श्री नरेश कुमार साझीदार थे। दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को श्री प्रमोद कुमार फर्म की साझीदारी सम्मिलित हुए हैं तथा श्री नरेश कुमार फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुए हैं। संशोधित साझीदारी दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के अनुसार श्री प्रफुल्ल गुप्ता एवं श्री प्रमोद कुमार साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

प्रफुल्ल गुप्ता,
साझीदार,
मेसर्स बांके बिहारी बिल्डर्स,
गर्वमेन्ट कोन्ट्रेक्टर्स एण्ड सप्लायर्स,
24/764, गली छत्ता मस्जिद,
पट्टी चौधरान, बडौत,
जिला बागपत-250611

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं वीर इंजीनियरिंग वर्क्स मकान नम्बर संख्या 56 हर्ष नगर, सिविल लाईन्स रोड, रार्बट्सगंज, सोनभद्र (उ0प्र0) में कार्यरत सात पार्टनरों में से दो पार्टनर क्रमशः श्री राजीव शर्मा पुत्र स्व0 विधि चन्द्र शर्मा, निवासी रार्बट्सगंज, सोनभद्र व श्रीमती सुषमा शर्मा पत्नी राजीव शर्मा निवासी रार्बट्सगंज सोनभद्र अपनी स्वेच्छा से पार्टनरशिप छोड़ रहे हैं।

रवन्द्रि शर्मा,
पार्टनर,
वास्ते–वीर इंजीनियरिंग वर्क्स,
सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का घर का नाम लक्ष्मी है, जबकि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में मनोरमा अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल सह-अंक-पत्र में मेरी माता का घर का नाम अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरी माता के ही हैं। भविष्य में मेरी माता को मनोरमा पत्नी शिव कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये। कुमार अर्पित पुत्र शिव कुमार, नि0 स्थान-3/477/13, आवास विकास कानपुर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208021।

कुमार अर्पित।

सूचना

फर्म मे0 नेशनल पोल्ट्री फार्म ग्राम दाऊदपुर कोटा, अलीगढ़ पत्रावली संख्या एजी-14984 में दिनांक 01 अगस्त, 2022 को श्रीमती आतिया सिद्दकी पत्नी श्री इबने अहमद सिद्दकी निवासी-म0न0 721 हादी नगर धौर्रा, माफी अलीगढ़ फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हुई वर्तमान में फर्म में भागीदार डा0 इकराम उल्लाह श्री रियाज मुहम्मद हैं।

डा0 इकरामउल्लाह,
साझेदार,
मे0 नेशनल पोल्ट्री फार्म,
ग्राम दाऊदपुर, कोटा, अलीगढ़।

सूचना

फर्म मे0 भगवती इण्डियन ऑयल 1666 गांव जरामई, जिला मैनपुरी, पत्रावली संख्या एमएआई-0010593 में दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को द्वितीय पक्ष मोहन लाल गोयल पुत्र स्व0 जय नारायन गोयल, निवासी-मण्डी मोती गंज, मैनपुरी फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हुये वर्तमान में फर्म श्रीमती सौरभी गोयल के एकल स्वामित्व में संचालित रहेगी।

श्रीमती सौरभी गोयल,
साझेदार,
मे0 भगवती इण्डियन ऑयल,
1666 गांव जरामई, जिला मैनपुरी।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भादीदारी फर्म मे0 प्रगति ट्रैक्टर्स, कोर्ट रोड, मैनपुरी जिला मैनपुरी में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को फर्म के प्रथम भागीदार श्री सुभाष पाण्डेय पुत्र स्व0 गंगाराम पाण्डेय निवासी-रघुराजपुरी सिटी, मैनपुरी की मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती माधुरी पाण्डेय पत्नी स्व0 सुभाष पाण्डेय निवासी-रघुराजपुरी, कालीचरण रोड, मैनपुरी फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हो गयी हैं। अब फर्म में श्री भुवनेश दुबे,

श्रीमती माधुरी पाण्डेय, श्रीमती मन्जू दुबे तथा श्री आर्नव पाण्डेय भागीदार हो गये हैं।

भुवनेश दुबे,
भागीदार,
मे0 प्रगति ट्रैक्टर्स,
कोर्ट रोड, मैनपुरी,
जिला–मैनपुरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "विलियम ऑर्गेनिक", पता-प्लॉट नं0-50/2, शिव नगर लोहारी, तहसील स्वार, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 05 अक्टूबर, 2022 को फय्याज खान पुत्र श्री शकील खान, निवासी वार्ड नं0-14, इन्द्रा नगर, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड) व फिरदोश अहमद पुत्र श्री अख्तर अली, निवासी 108, मजरा हसन, आर्सल-पार्सल, जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 05 अक्टूबर, 2022 को श्री फिरासत अली पुत्र श्री असगर अली, निवासी मजरा हसन, आर्सल-पार्सल, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्री युसूफ अली, श्री जालीस व श्री फिरासत अली रह गये हैं।

युसूफ अली,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "विलियम ऑर्गेनिक",
पता-प्लॉट नं0-50/2, शिव नगर लोहारी,
तहसील स्वार,
जिला-रामपुर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै तान्या कश्यप मेसर्स वैष्णवी सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, पता-109, महावीर पुरी, के0के0सी0 कालेज के पीछे हैदर कैनाल थाना हुसैनगंज, चारबाग, लखनऊ की पार्टनर शिप सम्बन्धित सूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश, साधारण गजट में प्रकाशित कराई गयी थी, जिसके त्रुटिवश अन्जू कश्यप के स्थान अंशू कश्यप मुद्रित हो गया है। जो गलत है। अंशू कश्यप की जगह अन्जू कश्यप पढ़ा व समझा जाय।

तान्या कश्यप,
डायरेक्टर,
वैष्णवी सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज,
पता-109, महावीर पुरी के0के0सी0,
कालेज के पीछे हैदर कैनाल,
चारबाग, लखनऊ।

NOTICE

I, Prafull Kumar Jaiswal S/o Late Murlidhar Jaiswal Residing at Dildarnagar, Ghazipur, U. P. I have changed my name from Praful Kumar Jaiswal to Prafull Kumar Jaiswal for all future purposes *vide* Affi. No. In-UP21324688097288U.

PRAFULL KUMAR JAISWAL,
Deponent.

NOTICE

This is to hereby inform that I J B Charan, legally wedded spouse of No. IC27952K Col. Bimal Kishore Charan.

I have change my name from JB Charan to Jyotsna Bimal Charan due to the mismatch between Pan card, Aadhaar card and PPO order.

Both names JB Charan and Jyotsna Bimal Charan pertain to one and the same person.

From now onwards I will be known as Jyotsna Bimal Charan for all future purposes.

Jyotsna Bimal Charan
W/o Col. Bimal Kishore Charan,
9-A Ram Vatika Colony,
15 New Civil Lines,
Bareilly (U.P.) 243001.

NOTICE

My name is mentioned in the School and College documents as Tamas Tiwari which has been changed to Sangam Tiwari S/o Manoj Tiwari R/o Maninath BOB ATM Toshavaas Bareilly. Now let me be known by the name Sangam Tiwari. In future I will be known as changed name.

TAMAS TIWARI.

पी0एस0यू0पी0–30 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।